पंजीयन संख्या : 68939/98

ज्ञान तत्व

सत्यता एवं निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

JAN 2025
अंक - 3

465

21. गाँधी हत्या एक हिंदुत्व विरोधी कार्य : 12

"... गांधी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि गांधी सत्ता का अकेंद्रण चाहते थे और नेता केंद्रित सत्ता चाहते थे। गांधी समाज को सशक्त करना चाहते थे और नेता सिर्फ राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित रहना चाहते थे। इसलिए सारे नेताओं ने गांधी से पिंड छुड़ाया, भले ही प्रत्यक्ष मूर्खता गोडसे ने की हो। ... "

16. राम बहादुर राय जी के कारण चरित्रवान गांधीवादी और चरित्रवान संघ के लोग एक साथ 10

19. कुम्भ एक सामाजिक आयोजन : 11

MARGDARSHAK

सिंहावलोकन

नई समाज व्यवस्था 3

"हम लोगों की प्रस्तावित समाज व्यवस्था में सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकेगी जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, गोरे, काले या अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होंगे"

5. विशेष परिस्थितियों में भी हिंसा का समर्थन अनुचित : 15

"उसने कभी अपने जीवन में बल प्रयोग किया हो। मैं यह बात समझ ही नहीं पाता कि जो अपने जीवन में कभी बल प्रयोग किया ही नहीं है, वह हिंसा का समर्थन कैसे करता है"

7. भारत को भी आयात कम कर निर्यात बढ़ाना चाहिए 7

9. श्रमजीवियों के बारे में सोचना चाहिए : 7

13. हिंदुत्व खुलेआम नास्तिक कम्युनिस्टों को चुनौती दे रहा : 9

2. वर्त्तमान कांग्रेस पार्टी में विपरीत क्षमताओं के लोग : 13

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

website : margdarshak.info

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

mail : Support@margdarshak.info

अपनों से अपनी बात

1. दुनिया की सामाजिक व्यवस्था का स्वरुप क्या हो? :

हम प्रतिदिन फेसबुक, व्हाट्सएप में तीन अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रातःकालीन सत्र में सामाजिक विषय पर चर्चा होती है, दोपहर में संवैधानिक चर्चा होती है और सायंकाल राजनीतिक चर्चा होती है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने सलाह दी है कि हम सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं। उन समस्याओं पर चर्चा कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन समस्याओं के समाधान भी बताने की जरूरत है। इसलिए हम अपनी योजना में बदलाव कर रहे हैं। अब हम प्रातःकालीन सत्र में हर सामाजिक समस्या का समाधान बताने का प्रयास करेंगे। हम यह बताएंगे कि दुनिया की नई सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, उसमें क्या-क्या बदलाव होंगे और नई व्यवस्था क्या होगी। दोपहर के सत्र में हम वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकते हैं, उनके कारणों और परिणाम पर चर्चा कर सकते हैं। सायंकालीन सत्र में राजनीतिक, संवैधानिक विषय लिए जा सकते हैं। इस तरह हम अब अपनी योजना में बदलाव कर रहे हैं। आप यदि कुछ और भी बदलाव चाहते हैं, तो बता सकते हैं।

2. संविधान बनाने वाली इकाई लोक द्वारा नियंत्रित होना चाहिए :

हम भारत में यह महसूस करते हैं कि भारत का संविधान तंत्र का गुलाम है। लोकतंत्र की सही परिभाषा होनी चाहिए लोक नियंत्रित तंत्र, अर्थात संविधान लोक के द्वारा बनाया गया और संविधान तंत्र पर नियंत्रण करता है, जबकि भारत में तंत्र ही संविधान पर नियंत्रण करता है। इसलिए हम नई व्यवस्था इस प्रकार की बनाना चाहते हैं जिसमें तंत्र के नियंत्रण से मुक्त संविधान बने, अर्थात संविधान बनाने वाली इकाई लोक नियंत्रित हो, तंत्र नियंत्रित नहीं। इसके लिए हमारा सुझाव है कि आदर्श स्थिति में संविधान संशोधन के लिए या तो जनमत संग्रह हो या ग्राम सभाओं की स्वीकृति आवश्यक हो, और व्यावहारिक धरातल पर यदि यह कठिन हो तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। या यह भी संभव है कि एक अलग संविधान सभा बने और संविधान संशोधन में संविधान सभा की सहमति भी अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन यह आवश्यक है कि संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार तंत्र को नहीं दिया जा सकता, उसमें लोक द्वारा बनाई गई किसी अन्य व्यवस्था का भी

समान हस्तक्षेप होना चाहिए। जब तक संविधान तंत्र मुक्त नहीं होता, तब तक पूर्ण लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था संविधान संशोधन के मामले में किसी भी अन्य स्वतंत्र इकाई के सहभागिता की भूमिका बनाए।

3. सभी को अपनी योग्यता अनुसार विकास की स्वतंत्रता हो :

हम भारत की एक प्रस्तावित नई सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के अनुसार समाज में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार विकास करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करे, यह राज्य की जिम्मेदारी होती है। उसमें किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करना या भेद पैदा करना यह अनुचित भी है, अपराध भी है और राज्य को ना तो किसी की मदद करनी चाहिए, ना किसी का विरोध करना चाहिए। आरक्षण सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध शरीफ लोगों को ही दिया जा सकता है। जो लोग कानून का पालन करते हैं, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया जाना चाहिए, यही आरक्षण है, अन्य कोई आरक्षण नहीं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, लिंग, उम्र, किसी भी प्रकार के आरक्षण हमेशा घातक होते हैं। किसी कमजोर या असहाय की मदद तो की जा सकती है, लेकिन वह सिर्फ व्यक्ति की हो सकती है, किसी ग्रुप की नहीं। इसलिए हम लोगों

"....हमारा सुझाव है कि आदर्श स्थिति में संविधान संशोधन के लिए या तो जनमत संग्रह हो या ग्राम सभाओं की स्वीकृति आवश्यक हो ...."

ने नई व्यवस्था में आरक्षण को पूरी तरह गलत घोषित कर दिया है। आरक्षण ने जितना न्याय किया है, उससे कई गुना अधिक अन्याय किया है। आरक्षण ही वह बीमारी है, जिस बीमारी का लाभ उठाकर अनेक धूर्त दूसरे वर्ग के शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए हम लोगों ने नई व्यवस्था में आरक्षण मुक्त समाज व्यवस्था का निर्णय लिया है।

4. राज्य का समाज के कार्य में दखल देना एक बुराई है :

हम लोगों की प्रस्तावित समाज व्यवस्था में सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकेगी जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, गोरे, काले या अन्य किसी भी प्रकार का भेदभाव हो। सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान होंगे। समान नागरिक संहिता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी। किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा पैदा नहीं की जाएगी। मेरा यह मानना है कि वर्तमान समय में धर्म, जाति, लिंग, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, आदिवासी, गैर आदिवासी, दलित आदि के नाम पर जो भेदभाव के कानून बने हुए हैं, उस प्रकार के सभी कानून को हटा लेना चाहिए। हम नई व्यवस्था में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनने देंगे। समाज इस प्रकार के भेदभाव कर सकता है। वह समाज की स्वतंत्रता है, राज्य का काम नहीं है। समाज चाहे तो गरीबों की मदद कर सकता है, भूखे को भोजन करा सकता है, कमजोरों की मदद कर सकता है। समाज को सारी स्वतंत्रता होगी, लेकिन राज्य का कोई कानून नहीं होगा। समाज छुआछूत का व्यवहार कर सकता है, समाज किसी व्यक्ति को बहिष्कृत कर सकता है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से राज्य ने समाज के कार्य में दखल दिया और स्वयं भेदभाव करने लगा। यह एक बुराई है कि समाज को बहिष्कार करने से भी रोक दिया गया है। नई व्यवस्था में बहिष्कार की सामाजिक शक्ति को कानून नहीं रोक सकता।

बजरंग मुनि
प्रधान संपादक

अपनों से अपनी बात

5. पूरे देश में धीरे-धीरे समान नागरिक संहिता लागू हो :

भारत की समाज व्यवस्था में एक नई शुरुआत हुई है कि यहां समान नागरिक संहिता का एक छोटा सा प्रयोग शुरू हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश में समान नागरिक संहिता को महिला-पुरुष संबंधों के बीच में लागू किया गया है। यह कदम बहुत अधिक सराहनीय है क्योंकि अभी तक की मोदी से पहले के शासनकाल में नेहरू परिवार, कम्युनिस्ट और मुसलमान मिलकर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखे हुए थे। अब हिंदुओं को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा क्योंकि समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई है। धीरे-धीरे देश के अन्य भागों में भी समान नागरिक संहिता बढ़ेगी। हम लोगों की पूरी टीम स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार समानता के पक्ष में रही है। हम लोग धर्म के आधार पर भेदभाव को हमेशा गलत मानते रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन इन तीनों पर इतना सांप्रदायिक भूत सवार था कि नेहरू पूरी ताकत से मुस्लिम संप्रदाय को प्रोत्साहित करने में लगे हुए थे। नेहरू तो यह चाहते थे कि धीरे-धीरे मुसलमान की आबादी इतनी बढ़ जाए कि भारत में शरिया लागू हो जाए। लेकिन नेहरू अपने कार्यकाल में वह नहीं कर सके। बाद में नेहरू के परिवार के लोगों ने वह प्रयत्न किया लेकिन हिंदुओं में एक जागृति आई और हिंदुओं ने नेहरू परिवार को उखाड़ दिया। परिणाम हुआ कि अब भारत में हिंदुओं के साथ समानता का व्यवहार होगा। अभी तो सिर्फ उत्तराखंड से शुरुआत हुई है और वह भी सिर्फ धार्मिक मामलों में। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि धीरे-धीरे पूरे देश में पूरी तरह समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। भले ही लागू होने में 10 या 20 वर्षों का समय लगे। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप पूरी ताकत से समान नागरिक संहिता के पक्ष में लगे रहें। परिणाम अवश्य अच्छा होगा। साम्यवाद, सांप्रदायिक मुसलमान और सांप्रदायिक नेहरू परिवार अवश्य ही हार मानेंगे।

6. नई समाज व्यवस्था में दंड कठोर और त्वरित :

नई समाज व्यवस्था का प्रारूप आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। नई समाज व्यवस्था में सिर्फ पांच ही कार्य अपराध होंगे: एक, चोरी, डकैती, लूट; दूसरा, बलात्कार; तीसरा, मिलावट और कम तोलना; चौथा, जालसाजी और धोखाधड़ी; पांचवा, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग। इसके अतिरिक्त किसी कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। इन पांच कार्यों को यदि कोई करेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा। दंड की मात्रा वर्तमान स्थिति की अपेक्षा अधिक कठोर होगी। जेल की व्यवस्था भी अधिक कष्टदायक होगी। दंड इस प्रकार के होंगे कि उससे अपराधियों में एक भय व्याप्त हो। आवश्यकता अनुसार खुली फांसी और खुली फांसी से भी अधिक कठोर दंड दिया जा सकता है। अधिकतम 6 महीने के अंदर दंड क्रियान्वित कर दिया जाएगा। न्यायालय 6 महीने के अंदर निर्णय करने के लिए बाध्य होगा। अपराधों में पुलिस के दंड को यदि अपराधी स्वीकार कर लेता है, तो मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। यदि अपराध पीड़ित, अपराधी और ग्राम सभा तीनों पुलिस के दंड से सहमत हैं, तब न्यायालय की भूमिका शून्य होगी। यदि किसी व्यक्ति को फांसी का दंड दिया गया है और वह दोनों आंख निकलवा कर कुछ शर्तों के अधीन जमानत पर रहने का निवेदन करें, तो न्यायालय ऐसे निवेदन पर विचार कर सकता है। न्यायालय की भूमिका और संख्या बहुत कम होगी। सामाजिक न्याय को भी महत्व दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी पंचायत या न्यायालय में बिल्कुल सच बोल देता है, तो उसके दंड में रियायत की जाएगी। इस तरह मैंने आपको नई सामाजिक व्यवस्था का प्रारूप बताया है।

7. नई समाज व्यवस्था में व्यवस्था की मूल इकाई 'परिवार' :

नई समाज व्यवस्था में व्यवस्था की सबसे पहली इकाई परिवार होगी, अर्थात समाज में महिला, पुरुष, बच्चे और वृद्ध यह व्यक्ति के रूप में तो रहेंगे, लेकिन इनका कोई समूह नहीं होगा, वर्ग नहीं बनेगा। महिलाएं और बच्चे ऐसा कोई शब्द उचित नहीं है। आज भी यदि ठीक से सर्वे किया जाए तो भारत में महिलाओं की संख्या एक-दो लाख से अधिक नहीं है। बच्चों की संख्या तो इससे भी और कम होगी, बच्चे तो कुल मिलाकर आपको 10 हजार ही मिलेंगे। बाकी महिलाएं मां, बेटी, बहन, पत्नी हो सकती हैं, महिला नहीं हो सकती। क्योंकि महिलाएं तो वही होती हैं जो किसी परिवार की सदस्य नहीं होती। जो परिवार के अनुशासन में है, वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है। इसलिए महिलाओं का कोई संगठन बनना असंभव है। इसी तरह बच्चों के मामले में भी बच्चों का कोई संगठन नहीं बन सकता क्योंकि बच्चे तो परिवार के सदस्य होते हैं। बच्चे बेटा, बेटी बन सकते हैं, लेकिन बच्चे परिवार से स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने को महिला समझती हैं, उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वह वास्तव में महिला हैं, मां, बेटी, बहन नहीं। किसी परिवार की सदस्य नहीं। नई समाज व्यवस्था में महिला, पुरुष, बालक और वृद्ध इनकी अलग कोई पहचान नहीं होगी, यह सभी एक परिवार के सदस्य बन जाएंगे और परिवार एक स्वतंत्र इकाई होगी। परिवार अलग-अलग व्यक्तियों का समूह नहीं होगा। नई व्यवस्था में संयुक्त परिवार होगा, सम्मिलित परिवार नहीं। स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा षड्यंत्र किया गया कि संयुक्त परिवार को सम्मिलित परिवार बना दिया गया। नेहरू और अंबेडकर से यह प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा कि आपने परिवार व्यवस्था के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों किया।

ज़ूम "चर्चा कार्यक्रम" से

21. दंड के डर से अपराधियों पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण :

23 जनवरी को हमारे सभी रामानुजगंज कार्यालय के साथी इलाहाबाद कुंभ कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए चले गए थे। इसीलिए चर्चा का संचालन रायपुर कार्यालय से किया गया और मैंने ही विषय प्रस्तुत किया। यह स्पष्ट है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन का पक्षधर हूँ और पुरानी व्यवस्था में आई बुराइयों तथा उनके कारणों पर चर्चा करने के साथ-साथ नई प्रस्तावित समाज व्यवस्था के प्रारूप पर भी चर्चा हुई। कल "यदि मैं 1 दिन के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का तानाशाह होता तो मैं क्या-क्या बदलाव करता" ऐसे बदलाव के 15 में से एक अंश पर कल चर्चा हुई। यह अंश मेरी पुस्तक मार्गदर्शक सूत्र संहिता के भाग 3 में 9900 क्रमांक कोटेशन से ली गई है। इसके अनुसार मैं घोषणा करता हूँ कि 3 महीने के अंदर 50 ऐसे लोगों को फांसी, 100 को आजीवन कारावास और 500 को 5 से 10 वर्ष की जेल की सजा देता, जिन्हें हमारी सरकार की गुप्तचर पुलिस न्यायालय में गुप्त मुकदमा प्रस्तुत करती और न्यायपालिका की गुप्तचर शाखा उसकी स्वतंत्र तथा गुप्त जांच करके उन्हें अपराध के अनुसार दंड घोषित करती। मैंने अपने विचार में यह तर्क दिया कि दंड महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि दंड के डर से अपराधियों पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय में अपराधियों में दंड और कानून का डर समाप्त हो गया है। पश्चिमी संस्कृति की नकल करके भारत भी मानवीय दंड देने का प्रयास कर रहा है, जबकि दंड कभी मानवीय होता ही नहीं। दंड को इतना अधिक अमानवीय होना चाहिए कि उससे आम अपराधी डरने लगे, यदि जरूरत हो तो खुले आम फांसी दी जाए और फिर भी यदि भय न बने तो सार्वजनिक रूप से अपराधी के टुकड़े-टुकड़े भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन अपराधियों के मन में दंड का भय तो होना ही चाहिए। मैंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि जिस दिन यह घोषणा हो जाएगी, उसी दिन से गंभीर अपराध बहुत कम हो जाएंगे। बड़े-बड़े नेता, अफसर या न्यायाधीश भी इस घोषणा के बाद अपराध करने से डरने लगेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने यह भी सुझाव दिया कि फांसी की सजा घोषित होने वाला अपराधी यदि दोनों आंख देकर कुछ शर्तों के साथ जमानत पर जिंदा रहना चाहे, तो उसे न्यायालय ऐसी छूट दे सकता है। मेरे इस सुझाव पर कई मित्रों ने प्रश्न भी किए। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या यह सुझाव लोकतांत्रिक है? मैंने उत्तर दिया, यह सुझाव पूरी तरह लोकतांत्रिक है क्योंकि दंड न्यायालय दे रहा है, पुलिस नहीं। मैंने यह भी कहा कि लोकतंत्र हमारा मार्ग है, लक्ष्य नहीं। अपराध मुक्त समाज बनाना हमारा लक्ष्य है, मार्ग नहीं। यदि हमारे कोई मित्र मेरे सुझाव के मार्ग की तुलना में अपराध नियंत्रण के लिए कोई बेहतर मार्ग बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अन्यथा मेरी अब तक की सोच के अनुसार इस मार्ग के अतिरिक्त कोई और अच्छा मार्ग नहीं है। चर्चा में 14 लोग जुड़े थे और चर्चा करीब एक घंटे 20 मिनट तक चलती रही।

(मुनि जी)

ज़ूम "चर्चा कार्यक्रम" से

उत्पादक और उपभोक्ता के वर्ग संघर्ष में उत्पादन को दुष्प्रभावित किया:

2 अप्रैल प्रातःकालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। स्वतंत्रता के बाद मैं आज तक देख रहा हूं कि भारत में उत्पादक और उपभोक्ता के नाम से दो अलग-अलग वर्ग बना दिए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि भारत का हर व्यक्ति उपभोक्ता तो होता ही है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, लेकिन कुछ लोग उपभोक्ता के साथ उत्पादक भी होते हैं और कुछ लोग उत्पादन न करके सेवा कार्य करते हैं। यदि हम सेवा कार्य को भी उत्पादन मान लें, तो भारत का हर व्यक्ति हर समय उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। दुर्भाग्य से हमने स्वतंत्रता के बाद उत्पादन को निरूत्साहित किया और उपभोक्ता को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम हुआ कि भारत में उत्पादन घटता चला गया और हम दुनिया से आयात बढ़ाने लगे। दुनिया उत्पादन को महत्व दे रही है और भारत उपभोग को। यह नीति पूरी तरह गलत रही और इस नीति को बदलने की जरूरत है। आज महंगाई हमारे लिए अभिशाप नहीं, वरदान है, लेकिन महंगाई का झूठा हल्ला करने से उपभोक्ताओं की हालत लगातार सुधरती गई है और भारत में आयात बढ़ता चला गया है। उत्पादकों की हालत लगातार खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उत्पादन छोड़कर सेवा कार्य की तरफ जा रहा है। नौकरी के लिए मारामारी मची हुई है, खेती से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। उद्योग धंधों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है। दिन-रात उद्योगपतियों को गाली दी जा रही है। अगर लहसुन महंगा हो गया, एक मूर्ख दिन-रात चिल्लाता रहता है कि लहसुन महंगा हो गया, लेकिन मुझे कल ही पता चला है कि हमारे रामानुजगंज शहर में ₹4 किलो में गोभी खरीदने वाला नहीं है। उस मूर्ख के मुंह से कभी नहीं निकला कि उत्पादन की क्या हालत है। इसलिए अब समय आ गया है कि उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों को अलग-अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को वर्ग भेद खत्म कर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए, आयात तो रोकना चाहिए। जो लोग महंगाई का हल्ला करते हैं, उन्हें देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए क्योंकि जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जब तक वस्तुएं महंगी नहीं होंगी, तब तक हमारा उपभोग नहीं घटेगा। दूसरी ओर, उत्पादकों में से भी जब तक सेवा कार्यों की तरफ लोगों का आकर्षण कम नहीं होगा, तब तक वास्तविक उत्पादक और सेवा कार्यों के बीच भी संतुलन बिगड़ रहेगा। इसलिए हमें दो दिशाओं में कार्य करना पड़ेगा। एक, वास्तविक उत्पादकों को प्रोत्साहित करना होगा और उसके लिए आयात कम करना ही एकमात्र समाधान है। महंगाई को बढ़ने दीजिए। विकास दर अगर थोड़ी सी कम हो जाए, तो कोई चिंता की बात नहीं है। विकास दर की तुलना में उत्पादन बढ़ाना, उपभोग घटाना अधिक महत्वपूर्ण है।

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

1. विज्ञान, सामाजिक विषयों पर रिसर्च करे और धर्म उसे समाज तक पहुंचाए :

19 जनवरी प्रातःकालीन सत्र। हम दुनिया की 10 प्रमुख समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि धर्म और विज्ञान एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। विज्ञान रिसर्च करता है, उस रिसर्च के अंतिम निष्कर्ष निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, वह प्रयोग के द्वारा जब सही मान्य कर लिए जाते हैं, तब धर्म उस रिसर्च के निष्कर्ष को समाज तक पहुंचाता है। विज्ञान ने खोज कर निकाला कि तुलसी एक बहुत उपयोगी पौधा है, धर्म ने उस तुलसी को श्रद्धा के माध्यम से समाज तक पहुंचा दिया। स्पष्ट है कि विज्ञान के निष्कर्ष विचारकों तक तो अन्य माध्यमों से पहुंच सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं तक धर्म ही एकमात्र माध्यम है जो उसे आम जनता तक पहुंचाता है। समाज में विचारकों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, उन विचारकों में भी वैज्ञानिक तो इक्का-दुक्का ही निकल पाते हैं, समाज में वैज्ञानिक तो नगण्य ही होते हैं और उन वैज्ञानिकों में भी एक-दो ही सफल रिसर्च प्रस्तुत कर पाते हैं, लेकिन धर्मगुरुओं की संख्या कुल आबादी में करीब दस प्रतिशत होती है। यह दस प्रतिशत लोग उस विज्ञान के निष्कर्ष को समाज तक पहुंचाते हैं। वर्तमान दुनिया में धर्म और विज्ञान के बीच दूरी बहुत बढ़ गई है। विज्ञान सिर्फ भौतिक रिसर्च कर रहा है, आध्यात्मिक या सामाजिक मामलों में विज्ञान में रिसर्च बंद कर दिया है और धर्म विज्ञान के रिसर्च को समाज तक पहुंचा नहीं रहा है क्योंकि धर्मगुरु अपना कर्तव्य भूल गए हैं। विज्ञान अपना कर्तव्य भूल गया है। धर्म अब शास्त्र तैयार नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पुराने शास्त्रों का अनुकरण कर रहा है और विज्ञान निष्कर्ष ही नहीं निकालता है, तो धर्म में शास्त्र कहां से तैयार करें। इसलिए धर्म और विज्ञान के बीच जो दूरी बढ़ी हुई है, उसमें हम वैज्ञानिकों के अभाव को अधिक जिम्मेदार मानते हैं। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है कि विज्ञान अपना दायित्व भूल गया है और धर्म अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। आवश्यक है कि विज्ञान सामाजिक विषयों पर रिसर्च करें और धर्म उस रिसर्च को समाज तक पहुंचा दे। यही वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धर्म और विज्ञान के बीच बढ़ी हुई दूरी कम होनी चाहिए।

2. भारत के सभी विपक्षी दल आंख बंद कर मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं :

मैं पिछले तीन दिनों से सैफ अली खान की हत्या के प्रयास की खबरें सुन रहा हूं। आज यह रहस्य खुला कि उनकी हत्या करने वाला एक मुसलमान था और वह भी बांग्लादेश से छिपकर चोरी से भारत आया है। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने आक्रमण किया, मैं इस बात से हैरान नहीं हूं। यह तो स्वाभाविक है, ऐसी घटनाएं तो देश में प्रायः हर रोज हो रही हैं कि विदेश से आए हुए मुसलमान भारत में अपराधियों में बहुत आगे

हैं, चाहे वह म्यांमार के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों या और कहीं के। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि भारत का पूरा-का-पूरा विपक्ष आज भी सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार के मुसलमानों के पक्ष में क्यों खड़ा रहता है? भारत के सभी विपक्षी दल आंख बंद करके भारतीय मुसलमान के पक्ष में खड़े रहते ही हैं, लेकिन वह विदेश से आने वाले मुसलमान की भी वकालत करते रहते हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे तक शामिल हैं, एक स्वर से हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमान के साथ खड़े रहते हैं। जब शरणार्थी और घुसपैठियों का कानून बना, तब सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के पक्ष में आवाज उठाई। आज भी सारा विपक्ष अच्छी तरह जानता है कि भारत में मुसलमानों की आबादी 15% करीब होते हुए भी अपराधों में उनका प्रतिशत 40 के आसपास है और आतंकवाद की घटनाओं में तो उनका प्रतिशत 95 के आसपास है। इसके बाद भी सारा विपक्ष पूरी तरह उनके पक्ष में खड़ा रहता है। भारत का पूरा विपक्ष आज भी वक्फ कानून के मामले में मुसलमान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के इन राजनेताओं के डीएनए में इस्लाम कहां से घुस गया। पुरानी कांग्रेस को छोड़कर जब नई कांग्रेस आई और इंदिरा गांधी ने बनाई, तब तो मैं मान सकता हूं कि उनके डीएनए में कुछ इस्लाम आया होगा, लेकिन अन्य सभी राजनीतिक दल जो वर्तमान में विपक्ष में हैं, खासकर उद्धव ठाकरे, उनके डीएनए में तो इस्लाम का कोई प्रवेश संभव नहीं था। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का अंध विरोध ही इन सब लोगों को ऐसे अपराधियों की मदद करने के लिए मजबूर कर रहा है। वर्तमान घटनाक्रम पर हमारे विपक्षी दलों को शर्म आनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। आज तक हमारे विपक्षी दल इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि संभल में कुछ पत्थर मारने वाले मुसलमानों का समर्थन करने का प्रयास इन्हें कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आज तक हमारे विपक्षी दल यह सोच नहीं पा रहे हैं कि जिन मुसलमान के समर्थन में यह खड़े हुए हैं, वह कितने नासमझ हैं कि उन्होंने 1200 इसराइलियों के बदले में 50000 मुसलमान की हत्याएं स्वीकार कर ली और आज भी अकड़ रहे हैं। इस प्रकार के मूर्खों का समर्थन करके हमारे विपक्षी दल क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वे जाने, लेकिन यह बात सिद्ध है कि हमारे विपक्षी दलों को मुसलमान के संबंध में अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए।

3. सुरक्षा के मामले में ही कंजूसी क्यों? :

मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में हूं। आज के समाचार पत्रों में मैंने दो महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ीं। पहली सूचना यह थी कि हमारे रायपुर के महानदी इंद्रावती भवन की उच्च स्तरीय लाइट के लिए 7 करोड़ रुपए सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं। उसी के साथ-साथ दूसरा समाचार यह भी था कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं और उनकी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में पांच थाने सिर्फ स्थापित किए गए हैं और उन पांच थानों में भी अनेक पद अभी खाली हैं। साइबर अपराधों की जांच-पड़ताल लगभग नहीं हो पा रही है क्योंकि न तो उनके लिए स्टाफ है और न ही कोई अन्य सुविधाएं हैं। अब हम गंभीरता से सोचें कि एक तरफ हमारी सरकार कुछ सरकारी भवनों के लाइट के लिए सात-सात करोड़ रुपए दे रही है, दूसरी ओर वही सरकार थानों में पुलिस वालों के स्थान भी नहीं भर पा रही है। नए थाने खोलने तो एक अलग की बात है। यह तर्क हमारी समझ में नहीं आया कि हम सुरक्षा के मामले में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, दूसरी ओर सुविधा के मामले में हम बहुत शाह खर्च हो जा रहे हैं। भारत का कुल बजट सिर्फ एक प्रतिशत ही पुलिस और न्यायालय पर खर्च होता है, जबकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कुल बजट का 6% खर्च किया जाता है। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि सुरक्षा और शिक्षा में से सरकार शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रही है, सुरक्षा को क्यों नहीं। मुझे यह भी पता है कि शिक्षा के दलाल यह 6% बजट बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में यह दलाल कभी मुंह नहीं खोलते। इसलिए हमें इन दलालों से भी सावधान रहना होगा और हमें सरकार से यह कहना चाहिए कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, शिक्षा से अधिक।

4. समझदार विपक्ष का आभाव, हमारी योजना में बड़ी बाधा :

मैं मार्गदर्शक संस्थान से जुड़कर कार्य करता हूं। मेरा कोई उद्देश्य फेसबुक चलाना नहीं है। मैं मनोरंजन के लिए फेसबुक का उपयोग नहीं करता, बल्कि मेरे सभी साथियों का एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान दुनिया कुछ गलत दिशा में जा रही है। उन गलतियों के कारण खोजे जाएं और समाज को उनके समाधान बताए जाएं। हम सब साथियों का उद्देश्य सिर्फ गलतियों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि उनके कारणों को खोजकर उनका समाधान बताने पर हम केंद्रित रहते हैं। इस तरह हम यह स्पष्ट करते हैं कि दुनिया की सभी प्रमुख समस्याओं का समाधान हम खोज रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग दिनभर इन विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इन सब व्यवस्थाओं में कई तरह की कमियां हैं, जिन्हें सुधारा जा सकता है, बदला भी जा सकता है। लेकिन इन सब समस्याओं की तुलना में राजनीतिक समस्याएं

अधिक विकराल हैं, खतरनाक हैं। जब तक राजनीतिक संवैधानिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए हम राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पर भी निरंतर हम लोगों का प्रयत्न जारी है। हम यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दिशा से हमारे संस्थान का अच्छा तालमेल बना हुआ है, जो विपक्ष के अभाव में पर्याप्त नहीं है। विपक्षी दलों में मुझे तीन लोगों की नीयत ठीक दिखती है, उनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे शामिल हैं। यदि ये तीनों लोग सामाजिक विषयों पर होने वाली चर्चाओं के साथ जुड़ना शुरू कर दें, तो दुनिया का बहुत भला हो सकता है। इन तीनों की नीयत खराब नहीं है, लेकिन तीनों की नीतियां गलत हैं। इन तीनों को इस बात का घमंड है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वे कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें क ख ग घ से सीखना चाहिए। मैं राहुल, अखिलेश, उद्धव ठाकरे से निवेदन करता हूं कि वे मार्गदर्शक संस्थान के साथ जुड़कर कुछ दिनों तक विचार मंथन में भाग लें। यदि इन तीनों में समझदारी बढ़ जाती है, तो देश का भला होगा, दुनिया का भला होगा, समाज का भी भला होगा। नासमझी में ये तीनों गलत मार्ग पर जा रहे हैं। आवश्यक है कि राहुल गांधी को कम्युनिस्टों का साथ छोड़ना होगा, उद्धव ठाकरे को संजय का साथ छोड़ना होगा, अखिलेश यादव को मुस्लिम सांप्रदायिकता से किनारे करना होगा। तभी ये तीनों कुछ ठीक दिशा में चल सकते हैं। यदि इन तीनों ने अपना मार्ग नहीं बदला, तो तीनों का सफाया निश्चित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिलकर इन तीनों को साफ कर देंगे।

6. धर्म, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का व्यवसायीकरण :

यदि हम पूरी दुनिया की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करें, तो एक प्रमुख समस्या दुनिया में बढ़ रही है कि धर्म, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। हर चीज को आर्थिक लाभ-हानि से तौला जा रहा है। राजनीति तो पूरी दुनिया में व्यवसाय बन ही गई है। अभी आपने देखा होगा, अमेरिका के चुनाव और ट्रंप पूरी तरह व्यावसायिक आधार पर लड़े। भारत की राजनीति में भी समाज सेवा का बहुत थोड़ा ही अंश बचा है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार आदि कुछ लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोग व्यावसायिक राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह सामाजिक संस्थाएं भी एनजीओ का बोर्ड लगाकर पूरी तरह व्यवसाय कर रही हैं। संघ को छोड़कर अन्य संस्थाएं ऐसी नहीं दिखती जो व्यावसायिक न हो। खिलाड़ी व्यावसायिक आधार पर खेल रहे हैं। धार्मिक संस्थाएं या धर्मगुरु भी धीरे-धीरे व्यावसायिक होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हजारों साल पहले भारत में समाज सेवा व्यावसायिक नहीं थी। धीरे-धीरे समाज सेवा पर बल प्रयोग का प्रभाव बढ़ा और अब पूंजीवाद ने हर क्षेत्र में व्यावसायिक वातावरण बना दिया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर क्षेत्र व्यावसायिक दिशा में बढ़ रहा है। अन्य सभी क्षेत्रों की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर समाज सेवा भी व्यावसायिक हो जाएगी, धर्म भी व्यावसायिक हो जाएगा, राजनीति भी व्यवसाय करने लग जाएगी, तो बचेगा क्या? क्या राज्य को व्यापार करना चाहिए? क्या धार्मिक संस्थाओं को व्यापार करना चाहिए? इसलिए अब गंभीरता से सोचने का समय आ गया है कि हम किस सीमा तक धर्म, राजनीति तथा समाज सेवा को व्यवसाय की दिशा में बढ़ने की छूट देते रहेंगे और यदि नहीं, तो इसका समाधान क्या है?

7. भारत को भी आयात कम कर निर्यात बढ़ाना चाहिए :

मैं पिछले दो दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान सुन रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि बाइडेन जितने शालीन थे, ट्रंप उतने ही उद्दंड हैं, लेकिन दो दिनों में ट्रंप ने जो भी घोषणाएं की हैं, उनमें कोई घोषणा गलत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका में अवैध घुसपैठियों को नहीं आने देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जो अमेरिका में अवैध तरीके से आए हैं, उन सबको हम अमेरिका से निकाल बाहर करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम आयात पर टैक्स लगाएंगे, निर्यात बढ़ाएंगे। मैं अभी तक नहीं समझा इन घोषणाओं में गलत क्या है। अमेरिका यदि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए आयात-निर्यात का संतुलन करता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अमेरिका से व्यापार करते हैं, उनको इससे कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन वह दिक्कत हमारी अपनी कठिनाई है, उसके लिए किसी भी रूप में अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। जो लोग दुनिया भर से चोरी-छिपे अमेरिका में जा रहे हैं और गए हुए हैं, उन सबको यदि अमेरिका निकालता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे विचार से भारत को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। भारत को भी आयात कम करना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए, भारत को भी डीजल-पेट्रोल की खपत घटाना चाहिए और श्रम का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। भारत को भी अपना खर्च घटाना चाहिए और निर्यात बढ़ाना चाहिए। भारत को भी चाहिए कि चोरी-छिपे आए विदेशियों को पूरी तरह भारत से निकाल दे। मैं ट्रंप की नीतियों का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि भारत भी उस दिशा में सक्रिय हो।

8. व्यक्ति की पहचान के लिए परीक्षा प्रणाली लागु होनी चाहिए :

दुनिया की कुछ प्रमुख समस्याओं में एक समस्या है पहचान का संकट। पुराने जमाने में योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान निर्धारित की जाती थी। भारत में उस पहचान को जनेऊ संस्कार कहा जाता था। पश्चिम के देशों में भी अभी यह दिखाई देता है कि पुलिस के लिए अलग वर्दी, वकील के लिए अलग। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति दूर से ही यह पहचान सकता है कि यह व्यक्ति किस वर्ग का है। इसी तरह भारत में पुराने जमाने में सन्यासी या अन्य धर्मगुरु अलग तरह का तिलक लगाते थे। हर संप्रदाय अपनी एक अलग पहचान बनाता था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा पहचान लगाने के पहले एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता था। यज्ञोपवीत भी एक कठिन परीक्षा का प्रमाण पत्र होता था। सन्यास भी कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी। जब से दुनिया में यह पहचान प्रणाली समाप्त हुई है, अर्थात बिना परीक्षा के ही लोग यज्ञोपवीत पहनने लग गए, बिना परीक्षा के साधु संत सन्यासी बनने लग गए, तो इसका एक दुष्परिणाम हुआ कि अब प्रमाण पत्र का महत्त्व समाप्त हो गया। अब कोई भी कभी भी किसी भी तरह की पोशाक पहन लेता है। आप विचार करिए कि यदि बिना किसी परीक्षा के कोई भी व्यक्ति पुलिस की ड्रेस पहन ले और वकील बन जाए, तो कितनी दिक्कत पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को दूर से पहचान लेने के लिए फिर से परीक्षा की प्रणाली लागू होनी चाहिए, अर्थात दूर से ही पहचान लिया जाए कि कौन व्यक्ति ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन श्रमिक है। विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के बीच भी सिंदूर एक ऐसी पहचान थी जो इन दोनों को अलग-अलग करती रही है। यदि अविवाहित महिलाएं भी सिंदूर लगाने लग जाएं, तो यह पहचान पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जो उचित नहीं है। इसलिए ऐसी किसी प्रणाली को विकसित करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को दूर से पहचान की सुविधा दे और वह पहचान किसी परीक्षा के द्वारा दी जाए, अपने आप नहीं।

9. श्रमजीवियों के बारे में सोचना चाहिए :

दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। उन चुनाव के संबंध में मेरी कोई सक्रियता नहीं है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय बजट में जो सलाह दी है, वह बहुत घातक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा का बजट दो प्रतिशत से बढ़कर 10% कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य का बजट भी 10% कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि मिडिल क्लास को और अधिक सुविधाएं देने की जरूरत है। इस तरह अरविंद केजरीवाल ने जो तीन सुझाव दिए हैं, यह वास्तव में तीनों बहुत घातक हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि बजट कहां से कम किया जाए। सुरक्षा पर बजट 13% होता है। क्या हम सुरक्षा का बजट घटा सकते हैं? पूरे देश के बजट का पुलिस और न्यायालय पर एक प्रतिशत खर्च होता है। क्या इस एक प्रतिशत को भी और कम कर दिया जाए? अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि यदि उनके हाथ में सत्ता होगी, तो वह बजट किस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण नेता नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो उन्हें एक प्रस्तावित बजट बनाकर सामने रखना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा का बजट बढ़ाने की बात नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने श्रम की मांग और श्रम का मूल्य पर बजट बढ़ाने की बात नहीं की। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, कृषि उत्पादन पर भारी टैक्स लगता रहे और शिक्षा का बजट बढ़ा दिया जाए, यह कैसी मूर्खतापूर्ण मांग है? और अरविंद सरीखे प्रधानमंत्री के दावेदार इस प्रकार की आवाज उठा रहे हैं। मेरे विचार से भारत को मिडिल क्लास की नहीं, बल्कि श्रमजीवियों के विषय में सोचना चाहिए। नरेगा की मजदूरी पूरे देश में दोगुनी कर देनी चाहिए और उस मजदूरी पर प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। मैं नरेगा के पूरी तरह पक्ष में हूं। अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है, क्योंकि शिक्षित लोग हमेशा श्रम शोषण की नीतियां बनाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल भी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की समाज विरोधी मांग पर फिर से विचार करें।

10. आबादी का घटना बढ़ाना कोई समस्या नहीं :

दुनिया की राजनीति हमें किस प्रकार अनावश्यक मुद्दों पर उलझा कर रखती है, इसका स्पष्ट उदाहरण अभी देखा जा सकता है। अब तक दुनिया भर में आबादी बढ़ाना एक बड़ी समस्या मानी जा रही थी, एकाएक पिछले एक-दो वर्षों से आबादी घटने को एक समस्या माने जाने लगा। जापान में इसलिए बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं कि वहां बच्चों की जन्म दर नहीं है, बूढ़ों की आबादी बढ़ रही है। चीन आबादी बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयोग कर रहा है, रूस भी इस दिशा में सोच रहा है और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भारत के भी कुछ प्रदेश आबादी बढ़ाने की बात करने लगे हैं। मैं यह नहीं समझा कि आबादी घटने की बात और बढ़ाने की बात इतनी जल्दी कैसे हो गई। न तो आबादी का बढ़ना कोई देश की बहुत बड़ी समस्या थी और न आबादी का घटना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे राजनीतिक नेता बिना मतलब की समस्याओं को समस्या बताकर हमें उलझाए रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर आबादी कुछ घट जाएगी तो देश में क्या बिगड़ जाएगा, क्यों नहीं सरकार 50 वर्ष पहले ही अनुमान लगा लेती है कि भविष्य में क्या होगा। आबादी बढ़ रही है, इसको जितनी बड़ी समस्या प्रचारित किया गया, मैं समझता था कि वह उतनी बड़ी समस्या नहीं है और आबादी का घटना भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हमारे देश के राजनेता चिल्लाना शुरू कर रहे हैं। मेरा यह विचार है कि हमारे देश के राजनेताओं को इस प्रकार बिना मतलब की बातों को प्राथमिक कार्य नहीं मानना चाहिए। आबादी का घटना या बढ़ना यह एक सामान्य समस्या है, यह एक सामाजिक समस्या है, सरकार को इससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा खतरा न पैदा हो जाए।

11. मुसलमान का पक्ष लेने वाले राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए :

लगातार समाचार आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं को लगभग गुलाम के समान बना कर रखा जा रहा है। यहां तक कि महिलाओं को अपने घरों में खिड़कियां भी बंद रखने का आदेश दिया गया है, जिससे महिलाएं या पुरुष एक दूसरे को देख न सकें। अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को जेल की कोठरी के समान बना कर रखा जा रहा है। सारी दुनिया अफगानिस्तान के इस व्यवहार से चिंतित है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही है। वैसे तो दुनिया भर के अन्य मुसलमान देशों में भी महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, लेकिन ऐसे भेदभाव में अफगानिस्तान बहुत आगे निकल गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार के भेदभाव होने के बाद भी भारत की मुस्लिम समर्थक राजनीतिक पार्टियां मुंह में ताला बंद करके चुप हैं। वे कहीं इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि दुनिया के मुस्लिम देशों में महिलाओं के साथ किस प्रकार भेदभाव हो रहा है, किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार उन्हें गुलाम बना कर रखा जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव या अन्य तथाकथित राजनेता भी किसी मुस्लिम देश के बारे में एक शब्द भी बोलने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया तो भारत का मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिलाफ हो जाएगा। यहां तक कि वक्फ कानून के विषय में भी सभी राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक नए-नए तरीके से टकराव ले रहे हैं। आज भी सुनने में आया कि वक्फ की बैठक में विपक्षी दलों के लोगों ने पूरी तरह दादागिरी का व्यवहार किया और अंत में उन्हें बाहर निकलना पड़ा। लेकिन मुझे सबसे आश्चर्य यह लगता है कि यह आज की घटना नहीं है। आज से 75 वर्ष पहले नेहरू और अंबेडकर को भी इसी तरह मुस्लिम महिलाओं पर किसी प्रकार का भेदभाव या अत्याचार नहीं दिखता था। इन लोगों को तो केवल हिंदू महिलाओं पर अत्याचार दिख रहा था और इसलिए इन दोनों स्वार्थी नेताओं ने मिलकर हिंदू कोड भी लगा दिया और मुसलमान को सारी स्वतंत्रता दे दी। अब समय आ गया है इस प्रकार मुसलमान का पक्ष लेने वाले राजनेताओं का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हम किसी भी प्रकार के महिला या पुरुष के भेदभाव वाले कानून का विरोध करते हैं, चाहे वह कानून कोई भी क्यों न लागू करता हो। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए। हमें जेंडर न्यूट्रल कानून चाहिए।

12. सांप्रदायिक मुसलमान और सांप्रदायिक हिंदू एक दूसरे से प्रत्यक्ष टकराव की दिशा में :

धर्म के दो अर्थ माने जाते है। एक है गुण प्रधान और दूसरा है संगठन प्रधान। गुण प्रधान लोग आमतौर पर अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, जबकि संगठन प्रधान लोगों को सांप्रदायिक कहा जाता है। इन सांप्रदायिक लोगों में मुसलमान की संख्या 90% मानी जाती है और हिंदुओं में भी अभी 20-30% ऐसे लोगों की संख्या हो गई है जो सांप्रदायिकता को ही धर्म समझ रहे हैं। हम भारत में देखते हैं कि कट्टरवादी मुसलमान हर समय सांप्रदायिक मांग करते रहते हैं। वह वक्फ की मांग करते हैं, मुसलमान को विशेष अधिकार की मांग करते हैं, मुस्लिम बोर्ड की मांग करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान भारत में कुछ ऐसे हिंदू धर्म गुरु भी पैदा हो रहे हैं जो मुसलमान की नकल कर रहे हैं। वह भी हिंदू बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन जी महाराज ने तो बाकायदा इसके लिए संतों की बैठक भी बुलाई है, धर्मगुरु बागेश्वर भी खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। इस तरह सांप्रदायिक मुसलमान और सांप्रदायिक हिंदू एक दूसरे से प्रत्यक्ष टकराव की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हम जैसे लोगों के सामने यह समस्या पैदा हो जाती है कि हम क्या करें। हमें यह बात स्पष्ट दिखती है कि हिंदू राष्ट्र अथवा सनातन बोर्ड की मांग औचित्यहीन है, लेकिन राजनीतिक दलों का एक सीधा समूह मुसलमान की हर मांग के पीछे पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। ऐसे समय में यदि हम बागेश्वर बाबा अथवा देवकीनंदन महाराज का विरोध करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम सांप्रदायिकता को ताकत मिलती है और यदि हम इन दोनों का समर्थन करते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है कि हिंदू धर्म भी कट्टरता की दिशा में जा रहा है, जो घातक है। ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे सामने सिर्फ एक मार्ग बचता है कि हम वैचारिक आधार पर धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते रहें और टकराव के मामले में सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान यदि टकराते हैं, तो हम स्थिति अनुसार चुप रह सकते हैं और अगर मुस्लिम सांप्रदायिकता मजबूत होती है, तो हम हिंदू सांप्रदायिकता का समर्थन भी कर सकते हैं। वर्तमान भारत में मेरे विचार से हमें चुप रहना ज्यादा अच्छा है। अभी ऐसा अवसर नहीं आया है कि हम वर्तमान भारत सरकार के कार्यकाल में सांप्रदायिक मुसलमान से सीधे संघर्ष में आ जाएं। मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के टकराव में अपने को चुप रखें। हमें हिंदू राष्ट्र या सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हमें नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत पर विश्वास करना चाहिए। मेरे विचार से वर्तमान भारत में हिंदुत्व पर कोई ऐसा खतरा नहीं है कि हम मुसलमान की नकल करें।

13. हिंदुत्व खुलेआम नास्तिक कम्युनिस्टों को चुनौती दे रहा :

आईआईटी मद्रास के निर्देश कामकोटी जी ने यह बयान देकर सनसनी फैला दी है कि गौमूत्र में बहुत से तत्व हैं जो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। गौमूत्र पर और अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि एक इतने उच्च पदाधिकारी ने इतनी हिम्मत का काम किया है। मैंने पंद्रह-बीस वर्ष पहले तक वह दिन भी देखा है जब इस प्रकार की बात करने वाले को यहां तो जेलों में डाल दिया जाता था या कम्युनिस्ट उनका मजाक उड़ाते थे। पता नहीं आज ये मजाक उड़ाने वाले या विरोध करने वाले कहां छिप गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने भी इस्लाम और हिंदुत्व की तुलना करते हुए जो बात कही वह बहुत हिम्मत का काम था। एक जमाना था जब न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका और विधायिका तक नास्तिक कम्युनिस्टों अथवा सांप्रदायिक नेहरू परिवार का वर्चस्व था और दस-पंद्रह वर्षों में ही इतना जमाना बदल गया कि आज का हिंदुत्व खुलेआम नास्तिक कम्युनिस्टों और सांप्रदायिक नेहरू परिवार को चुनौती दे रहा है। वैसे तो धीरे-धीरे पूरी दुनिया का वातावरण हिंदुत्व की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन भारत में इसकी गति बहुत तेज है। अरविंद केजरीवाल भी मंदिर जाने लगे हैं और जल्दी ही नेहरू परिवार भी इस दिशा में सोच रहा है। हिंदुत्व की दिशा में जो यह सकारात्मक बदलाव दिख रहा है वह बहुत ही शुभ लक्षण है।

14. निजी संस्थाओं का स्तर गिरने में सरकारों को रुचि क्यों :

यह बात सर्वविदित है कि भारत की तुलना में दुनिया के अन्य देशों में शिक्षा केन्द्रों या चिकित्सा के स्तर बहुत ऊंचा है। भारत के छात्र या बीमार लोग विदेश में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं क्योंकि यहां उन्हें स्तर की सुविधा नहीं मिल पाती। दूसरी ओर भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है कि सरकारें स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने देतीं, सरकारें अस्पताल में डॉक्टरों की फीस पर नियंत्रण करती हैं। मैं नहीं समझता कि सरकार को इसमें क्यों दखल देना चाहिए। यदि वकील की फीस तय नहीं है, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किसान अपनी फसल का स्वतंत्रता से मूल्य तय कर सकता है, तो स्कूल और अस्पताल पर इस तरह के प्रतिबंध क्यों होना चाहिए। जिन्हें सरकार मदद करती है, उन्हें रोक सकती है या मदद वापस ले सकती है, लेकिन जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, उन पर किसी तरह का नियंत्रण उचित नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो खुलेआम यह कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर देनी चाहिए। सरकार को इससे क्या दिक्कत हो रही है? आप मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर कोई ज्यादा फीस देकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे यह समझ में नहीं आता कि प्राइवेट संस्थानों का स्तर गिराने में हमारे देश की सरकारों की रुचि क्यों है। आप उन्हें स्वतंत्रता से अपना कार्य करने दीजिए और लोगों को तय करने दीजिए कि वे कहां पढ़ना चाहते हैं, कहां इलाज करना चाहते हैं। अपने-अपने अस्पताल, अपने स्कूल खोल दिए हैं, इससे ज्यादा आपको दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस बात के बिलकुल खिलाफ हूं कि सरकार स्कूल की फीस तय करें, सरकार अस्पताल की फीस तय करें, सरकार उनकी आंतरिक व्यवस्था में दखल दे। यह सरकार का काम नहीं है। सरकार प्रतिस्पर्धा कर रही है और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण करना पूरी तरह घातक है। यदि स्कूल और अस्पतालों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता, तो हमारे देश में भी बड़े अच्छे स्तर के स्कूल या अस्पताल खुल सकते थे।

15. दो प्रतिशत आधुनिक और धूर्त महिलाओं का सशक्त होना समाज के लिए घातक :

कुछ दिन पहले रायपुर शहर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वह महिला पति के साथ सोई भी रही और सुबह उठकर उसने रोने-धोने का बहुत नाटक किया, बाद में भेद खुल गया। अभी 4 महीने पहले ही ग्वालियर शहर के आसपास एक महिला पारिवारिक विवाद में अपने बेटों को बंदूक देकर कह रही थी कि चाचा के सब लड़कों को मार दो। अभी 10 दिन पहले ही एक महिला शादी के बाद घर जाती है और घर जाने के थोड़ी देर के बाद ही सारा जेवर और रुपया-पैसा लेकर फरार हो जाती है। इस प्रकार की घटनाएं वर्तमान समय में लगातार बढ़ रही हैं। स्पष्ट होता है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन किस दिशा में हो रही है, यह भी एक चिंता की बात है। मैं यह मानता हूं कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और उसका समाधान महिला सशक्तिकरण में है, लेकिन पिछले 50-60 वर्षों में जो महिला सशक्तिकरण समाज में दिख रहा है, वह महिलाओं की घटती हुई संख्या के कारण है, कानून के कारण नहीं। परिवारों में महिला और पुरुष के बीच की दूरी घटी है, जो उचित है। पारिवारिक महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन पूरे देश में दो प्रतिशत आधुनिक और धूर्त महिलाएं सशक्त हो रही हैं, यह समाज के लिए घातक है। यह धूर्त महिलाएं कानून का लाभ उठाकर ही सशक्त हो रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि समाज इस समस्या का समाधान कर लेगा। सबसे बुरी बात यह है कि कानून महिलाओं को समान अधिकार घोषित करता है, लेकिन कानून महिलाओं को समान अधिकार दे नहीं रहा है। क्या दिक्कत आ रही है कानून को यह घोषित कर देने में कि पारिवारिक संपत्ति में महिला-पुरुष का कोई भेद नहीं होगा, सब की भूमिका समान होगी। लेकिन धूर्त महिलाएं इस प्रकार का नहीं होने दे रही हैं क्योंकि धूर्त महिलाएं शरीफ पुरुषों का शोषण करना चाहती हैं और शरीफ पुरुषों का शोषण करने के लिए महिला-पुरुष के अलग-अलग कानून आवश्यक हैं। यह बहुत ही घातक है, जैसा वर्तमान में हो रहा है। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण का नारा समाज में बदनाम होता जा रहा है। इस नारे को समाधान न मानकर समस्या माना जा रहा है। मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक विषय है, कानून पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए।

पद्म भूषण से सम्मानित राम बहादुर राय साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए क्यों हैं इतने खास, पढ़ें हर एक बात

राम बहादुर राय पिछले पांच दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अध्यक्ष हैं.

Written by: NDTV इंडिया | देश | जनवरी 26, 2025 10:01 am IST

Read Time: 3 mins

Share

16. राम बहादुर राय जी के कारण चरित्रवान गांधीवादी और चरित्रवान संघ के लोग एक साथ :

हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे मित्र और मार्गदर्शक राम बहादुर राय को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण प्राप्त पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। आप जानते हैं कि राम बहादुर राय एक संविधान विशेषज्ञ, उच्च कोटि के पत्रकार तथा राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। राम बहादुर राय भारत के उन गिने-चुने गांधीवादियों में हैं जो गांधी की विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं। राम बहादुर राय उस टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं जिन्होंने चरित्रवान गांधीवादियों और चरित्रवान संघ के लोगों को एक साथ जोड़कर एक नई समाज व्यवस्था पर सोचने में निरंतर कार्य किया है। राम बहादुर राय की उन लोगों में मुख्य भूमिका रही है जो गांधी के नाम की दुकानदारी करने वाले और गांधी को गाली देकर दुकानदारी करने वालों को किनारे करने में प्रयत्नशील रहे। वर्तमान समय में गांधी विचार और सावरकरवाद के बीच जो तालमेल दिख रहा है, वह इसी प्रयत्न का परिणाम है। वर्तमान समय में हम लोगों ने मिलकर एक नई समाज व्यवस्था का जो प्रारूप बनाया है, उस प्रारूप के बनाने में भी राम बहादुर राय जी का बहुत योगदान रहा है। राम बहादुर राय की योग्यता और गांधी विचारों के प्रति समर्पण के आधार पर भारत सरकार ने उन्हें जो उचित सम्मान दिया है, उसके लिए मैं भारत सरकार और राम बहादुर राय दोनों को धन्यवाद देता हूं।

17. हमें मुस्लिम कट्टरवाद से सतर्क रहने की जरूरत :

पाकिस्तान से समाचार मिला है कि पाकिस्तान में चार लोगों को फांसी के साथ-साथ 80 वर्ष की कठोर जेल की सजा और कुछ अर्थदंड भी सुनाया गया है। उन चार लोगों का अपराध सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने मोहम्मद साहब की आलोचना की थी, निंदा नहीं। लेकिन मोहम्मद साहब की आलोचना को भी इश निंदा मानकर चार लोगों को फांसी और लंबे कारावास का दंड दिया गया। समझ में नहीं आया कि 80 वर्ष की जेल की सजा के साथ फांसी का क्या जोड़-तोड़ है। भारत में मुसलमान खुलेआम हिंदू देवताओं की निंदा करते हैं, दूसरी ओर वही मुसलमान पाकिस्तान के इस प्रकार के कानून की प्रशंसा भी करते हैं। इसी तरह एक और समाचार आया है कि विश्व न्यायालय द्वारा अफगानिस्तान में महिलाओं के मौलिक अधिकारों को छीन लेने के आधार पर अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की योजना बनाई गई है और अफगानिस्तान के कुछ नेताओं को

> "मोहम्मद साहब की आलोचना को भी ईश निंदा मानकर चार लोगों को फांसी और लंबे कारावास का दंड दिया गया।"

गिरफ्तार करने की भी योजना है। अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने इस अदालत के न्यायाधीशों की हत्या की धमकी दी है। यह भी समाचार मिला है कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को गैर-मुसलमान मानकर उन्हें समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। इतनी सारी जानकारियां होने के बाद भी हमें यह पता नहीं चलता कि हमारे भारत का नेहरू परिवार, अखिलेश यादव तथा कुछ अन्य नेता इस प्रकार की मुस्लिम कट्टरवादी विचारधारा का समर्थन क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है, अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है और इसके बाद भी हम यदि मुस्लिम कट्टरवाद से सावधान नहीं हैं, तो यह एक गंभीर चिंता का विषय है। मैं चाहता हूं कि हमारे नेहरू परिवार और अखिलेश यादव इस मामले में गंभीरता से सोचें।

18. हमास और राहुल गाँधी की जीत बेबुनियाद :

हमास और लेबनान अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं। दोनों देशों ने कहा है कि हम लोग इसराइल को हराकर जीत गए हैं क्योंकि इसराइल ने हमें खत्म करने की बात कही थी और इसके बाद भी हम बच गए। दोनों ने यह भी घोषणा की कि हम इजरायल के 100 लोगों को छोड़ेंगे और इसराइल हमारे 3000 लोगों को छोड़ेगा। इस तरह हम बहुत फायदे में हैं, लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है कि कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है। हमास और फिलिस्तीनियों के करीब 45,000 मुसलमान मारे गए, बदले में यह लोग करीब 2000 यहूदियों को मार सके। इसराइल ने उनकी जमीन को बर्बाद कर दिया, लाखों लोगों के मकान बर्बाद हो गए। इसके बाद भी यह प्रसन्न हैं कि हम खत्म नहीं हुए। नुकसान चाहे जितना भी हो, लेकिन इसराइल हमें खत्म नहीं कर सका। यदि आप ठीक से देखेंगे, तो राहुल गांधी भी ठीक ऐसा ही सोचते हैं। राहुल गांधी का यह मानना है कि हमने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से सरकार बना सके हैं। राहुल गांधी इस तरह प्रसन्न हैं, जिस तरह हमास। मैं यह नहीं समझा कि हारने में भी खुश होने का क्या पैमाना होता है। यदि प्रसन्नता का कोई आकलन करना हो, तो दुनिया राहुल गांधी से सीख सकती है, दुनिया हमसे भी सीख सकती है। हम बुरी तरह हार भले ही गए, लेकिन हमारी जमानत बच गई। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। यह प्रसन्नता का आधार राहुल गांधी से सीखा जा सकता है।

19. कुम्भ एक सामाजिक आयोजन :

भारत कुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है। कुंभ एक सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं। कुंभ किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आयोजित नहीं होता है। कुंभ के आयोजन का समय पूर्व निर्धारित है और वह समाज आयोजित करता है। कुंभ में किसी तरह का जाति-धर्म का भेद नहीं होता, महिला-पुरुष, गरीब-अमीर का भेद नहीं होता, साधु-संत, भिखारी का भेद नहीं होता। कुंभ में सभी व्यक्ति समान रूप से जा सकते हैं। जबकि धार्मिक आयोजनों में ऐसा नहीं है। धर्म स्थान पर जाति का भेद भी होता है, धर्म का भेद भी होता है, कहीं-कहीं महिला-पुरुष का भी भेद होता है, लेकिन कुंभ में ऐसा नहीं होता। कुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां समाज के लोग एक साथ बैठकर विचार मंथन करते हैं और समाज के दूसरे लोग उस विचार मंथन के निष्कर्ष को लेकर समाज तक जाते हैं। इस तरह कुंभ विचार और श्रद्धा का एक सम्मिलित स्थान है, भले ही वर्तमान समय में विचारों का स्थान रोक कर सब कुछ श्रद्धा पर केंद्रित हो गया है। कुंभ में जो करोड़ों लोगों की उपस्थिति होती है, उसमें साधु-संतों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। कुंभ के साथ एक सामाजिक श्रद्धा जुड़ी हुई है। यदि साधु-संत कुंभ में न भी जाएं या बहिष्कार करें, तब भी वहां अन्य लोगों की उपस्थिति में कोई विशेष कमी नहीं आएगी क्योंकि कुंभ एक सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक नहीं। दुनिया में इतना व्यवस्थित कोई सामाजिक कार्यक्रम आज तक नहीं हो रहा है, होने की संभावना दिखती है, जैसा कुंभ का आयोजन होता है। वर्तमान इलाहाबाद प्रयाग में जो कुंभ आयोजित हुआ है, उस कुंभ में भी अच्छी व्यवस्था के लिए वहां जाने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। मैं कुंभ आयोजन का प्रशंसक हूं और कुंभ अपने वास्तविक उद्देश्यों की ओर बढ़े, इसकी एक संभावना व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग कुंभ को एक चिंतन मंथन की दिशा में बढ़ाने का मंच तैयार करें।

मेरे परिवार के भी कई लोग कुंभ में गए हुए हैं। मैंने फोन पर बात की, उन लोगों ने बताया कि कुंभ बड़े आराम से चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। करोड़ों लोग वहां आए हैं। एक छोटी सी घटना हुई है जिसमें 20-30 लोग मरे हैं और कुछ घायल हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुंभ में कोई व्यवधान नहीं हुआ है। यह बात सही है कि राहुल और अखिलेश उम्मीद कर रहे थे कि कुंभ में लाखों लोग मरेंगे, मोदी और योगी बदनाम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं कुंभ में कोई भगदड़ नहीं मची है और पूरी व्यवस्था से कुंभ चल रहा है। यह अवश्य है कि अभी तो कुंभ आधा भी नहीं हुआ है, आगे-आगे देखिए होता है क्या?

20. विस्तारवादी मुसलमानों को न्याय और अन्याय का फर्क दिखाए राज्य :

दुनिया भर में मुसलमानों का और हिंदुओं का अलग-अलग सोच है, यह जग जाहिर है। दुनिया में मुसलमान जहां भी होता है, यदि वह 10% से कम होता है तो उसका व्यवहार बहुत मीठा होता है। जब 15 से 20% हो जाता है, तब वह बराबरी का व्यवहार करने लगता है। जब वह 25 से 30% हो जाता है, तब वह आक्रामक हो जाता है और जब वह 30% से ऊपर हो जाता है, तब वह शरिया लागू करके आपस में लड़ने लगता है। आप देखिए कि भारत में मुसलमान करीब 15 प्रतिशत के आसपास है, मुसलमान का व्यवहार अभी बहुत अच्छा है। वह आदिवासियों, हरिजनों, सिखों, बौद्धों, कम्युनिस्ट सबको गले लगाते रहते हैं क्योंकि यह उनका स्वभाव है। लेकिन यही मुसलमान पाकिस्तान में, जहां वह पूर्ण बहुमत में है, वहां अहमदिया मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुसलमान अपनी संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, चाहे उसके लिए प्रेम का व्यवहार करना पड़े अथवा बल प्रयोग का, क्योंकि दुनिया का मुसलमान यह जानता है कि संख्या बल ही ताकत है, वहीं सुरक्षा है और संख्या बल के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हिंदू भी मुसलमान की लाइन पर चले या मुसलमान को अपनी लाइन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। हमारे कुछ मित्र ऐसा सोचते हैं कि हिंदुओं को भी मुसलमान की तरह बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे उचित हो या अनुचित। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि हमें दुनिया की सरकारों के साथ मिलकर मुसलमानों की इस प्रवृत्ति को सरकारी ताकत से बदल देना चाहिए। सरकार बल प्रयोग करें। हम मुसलमान की नकल न करें। मैंने अपना विचार बता दिया है। हमें एकजुट रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, आक्रामक नहीं।

23. अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों सफल :

मुझे आश्चर्य है कि पिछले दो महीने में मणिपुर बिल्कुल शांत दिख रहा है। जहां नेहरू परिवार और कम्युनिस्ट दिन-रात मणिपुर की माला जपते रहते थे, आजकल उनकी भी बोली कुछ बंद हुई है। मुझे तो आश्चर्य है कि मणिपुर को शांत करने में अवश्य ही अमित शाह की कोई योजना काम कर गई। मैंने सुना है कि किसी जरूरी मीटिंग को छोड़कर अमित शाह दिल्ली लौटे थे और उन्होंने मणिपुर को शांत करने की योजना बनाई। अभी तक मैंने यह अनुभव किया है कि अमित शाह चुपचाप योजना बनाकर काम करते हैं और अमित शाह की योजना पूरी तरह सफल हो जाती है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जो भी करते हैं, वह हिम्मत से करते हैं, खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं और अभी तक वह भी सफल होते जा रहे हैं। फिर भी अमित शाह ने जिस तरह कश्मीर और नक्सलवाद को साफ किया और अभी मणिपुर के बारे में भी अमित शाह सफल दिख रहे हैं, उससे यह दिखता है कि योगी आदित्यनाथ की तुलना में अमित शाह बड़ी समस्याओं के समाधान में अधिक सफल हैं। क्योंकि अमित शाह न्यायपालिका से बहुत बचकर योजना बनाते हैं और योगी आदित्यनाथ का न्यायपालिका में फंस जाने का डर बना रहता है। फिर भी हिम्मत के मामले में योगी आदित्यनाथ को दाद देनी पड़ेगी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही वर्तमान भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही दोनों का काम करने का तरीका अलग-अलग है।

21. गाँधी हत्या एक हिंदुत्व विरोधी कार्य :

आज के दिन ही गांधी की हत्या हुई थी और मैंने अपने पूरे जीवन में गांधी हत्या को हिंदू विरोधी कार्य माना। आज भी मानता हूं कि कोई हिंदू इस प्रकार की कायरता नहीं कर सकता। भगत सिंह या अन्य लोगों ने बहादुरी का कार्य किया था और उसके लिए उनकी आज भी प्रशंसा की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को मारा था, लेकिन गांधी जैसे निर्दोष को मारना, कोई कायर ही कर सकता है, हिंदू नहीं। मारना था तो नेहरू को मारते, जिन्ना को मारते। शायद जिन्ना की हत्या होती तो आज हत्यारे देशभक्ति में गिने जाते, लेकिन गांधी की हत्या का कोई औचित्य नहीं था। इतने वर्षों के बाद भी मेरे मन में इस्लाम के प्रति पूरी नफरत भरी हुई है। इस्लाम पूरी तरह एक संप्रदाय है, जो घातक है। जो भी लोग इस्लाम से प्रशिक्षित हैं, वह सब सांप्रदायिक हैं। इसलिए मैं इस्लाम और हिंदुत्व के बीच में तुलना करते समय हिंदुत्व को बहुत ही श्रेष्ठ मानता हूं और इस्लाम को घातक। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो लोग इस्लाम का अनुकरण करके भी शांति प्रिय हैं, अपराध नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ भी बल का प्रयोग किया जाए। हम सारे मुसलमान का बहिष्कार कर सकते हैं, हम उन पर संदेह कर सकते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन हम उन पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। जो हिंदू इस प्रकार निर्दोष मुसलमान पर अत्याचार करते हैं, उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तर्क के माध्यम से इस्लाम को परास्त किया जा सकता है और कानूनी माध्यम से सरकार इस्लाम को जवाब दे सकती है। हमें तर्क का सहारा लेना चाहिए, कभी भी हिंदू विरोधी आचरण का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि गांधी हत्या गलत थी, निर्दोष मुसलमान पर अत्याचार गलत है और मैं अपनी बात पर कायम हूं।

गांधी हत्या में गोडसे के साथ-साथ अन्य नेताओं का भी कोई न कोई हाथ हो सकता है। क्योंकि देश के सारे नेता गांधी से पिंड छुड़ाना चाहते थे, चाहे वह सावरकर हो, नेहरू हो, पटेल हो या अंबेडकर। गांधी को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि गांधी सत्ता का अकेंद्रण चाहते थे और नेता केंद्रित सत्ता चाहते थे। गांधी समाज को सशक्त करना चाहते थे और नेता सिर्फ राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित रहना चाहते थे। इसलिए सारे नेताओं ने गांधी से पिंड छुड़ाया, भले ही प्रत्यक्ष मूर्खता गोडसे ने की हो। गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या कर दी और सारे नेताओं को यह अवसर मिल गया कि वह गांधी के विचारों की हत्या कर दें। गांधी की हत्या होते ही नेहरू परिवार, गांधी विचारों की हत्या में पूरी तरह सक्रिय हो गया और यही कारण है कि भारत पूरी तरह गलत दिशा में चला गया। यदि गांधी जीवित होते तो नेहरू को इस तरह मनमाना करने की छूट नहीं मिलती। अब बड़ी मुश्किल से नेहरू परिवार से पिंड छूटा है और धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत गांधी की दिशा में चलना शुरू कर दिए हैं। मैं मानता हूं कि आज भी सावरकरवादी को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से बहुत कष्ट है, लेकिन सावरकरवादी भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। भारत की जनता अतिवाद को पसंद नहीं करती है, चाहे वह मुसलमान का हो, नेहरू परिवार का हो, कम्युनिस्टों का हो या सावरकरवादियों का हो। भारत की जनता शांति से रहना चाहती है। जिस तरह प्रवीण तोगड़िया को दूध की मक्खी के समान बाहर किया गया, वह कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ का भक्त बन गया हूं।

मैं इस बात का पक्षधर हूं कि हम पुरानी बातों को पकड़कर वर्तमान समय में टकराव पैदा न करें। गांधी, सावरकर, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन लोगों से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कुछ अच्छे काम भी हुए होंगे, लेकिन अब हमें वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। वर्तमान भारत में हमें साम्यवाद, इस्लामिक कट्टरवाद और नेहरू परिवार से मुक्त भारत बनाना है। हमें आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, जो लोग गांधी, सावरकर, सुभाष और भगत सिंह की प्रशंसा या आलोचना करके दुकानदारी करना चाहते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर अपनी रोजी-रोटी खड़ा करना चाहते हैं, छोड़िए उन लोगों को। अब हम आप सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां शराफत सुरक्षित हो और अपराधियों पर नियंत्रण हो, जहां समाज में जाति, धर्म, लिंग, गरीब, अमीर का भेदभाव न हो, जहां परिवार, गांव से लेकर राष्ट्र तक को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो और जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधारों पर बने संगठनों की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाए। इसी तरह का आदर्श धर्म राज्य और समाज हमारे देश का भविष्य आगे ले जा सकता है। वर्तमान दुनिया कंपटीशन कर रही है, वर्तमान दुनिया बुद्धि के नाम पर आगे बढ़ना चाहती है। अब लाठी, डंडे और बंदूक इनका महत्व घटता जा रहा है। जो लोग बुद्धि की जगह लाठी का प्रयोग करना चाहते हैं, उन मूर्ख को करने दीजिए। हम आप मिलकर इस दिशा में न भटक जाएं, यह हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए हम आप सब मिलकर एक नई धर्म, समाज और राज्य व्यवस्था के निर्माण में आगे बढ़ें।

22. गाँधी की प्रशंसा कर गाँधी विचारों के विपरीत कार्य किया गया :

30 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में 11:00 बजे हरिजन सेवक संघ के कार्यालय में गांधीवादियों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया और आमंत्रित भी किया गया। मैं मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात रखते हुए यह बात स्पष्ट की कि आज गांधी के विचारों की देश को जितनी जरूरत है, उतनी अन्य समय में नहीं रही है। गांधी के मरने के बाद पूरा देश गांधी विचारों के विपरीत चलता रहा। गांधी की प्रशंसा करके गांधी विचारों का दुरुपयोग किया गया। पूरे भारत के राजनेताओं ने दो गुट बना लिए, एक गांधी की प्रशंसा करके गांधी विचारों की हत्या करता रहा और दूसरा अच्छा गांधी को गाली देकर अपनी दुकानदारी चलाता रहा। अब गांधी के नाम का उतना महत्व नहीं है जितना गांधी विचारों का महत्व है। गांधी विचारों पर चलकर ही अब समाज की प्रमुख समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वहां उपस्थित सब लोगों ने मेरे विचार का समर्थन किया। दोपहर 1:00 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

राजनैतिक विषयों पर मुनि जी के लेख

2. वर्त्तमान कांग्रेस पार्टी में विपरीत क्षमताओं के लोग :

मैंने भारत की राजनीति को निकट से देखा है। वर्तमान कांग्रेस पार्टी में दो विपरीत क्षमता के लोग जीवित हैं। एक है सोनिया गांधी और एक है राहुल गांधी। सोनिया गांधी राजनीति की खिलाड़ी हैं, वह बहुत ही योजना बनाकर निर्णय करती हैं। सोनिया गांधी भावना प्रधान नहीं हैं। यह सोनिया गांधी की ही चालाकी थी कि उसने अपने परिवार के लोगों को छोड़कर किसी अन्य को कभी आगे नहीं आने दिया। सोनिया गांधी ने जितनी चालाकी से गुप्त योजना बनाकर अटल बिहारी वाजपेई को परास्त किया, वह एक ऐतिहासिक घटना है। मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी की ही किसी गुप्त योजना के अंतर्गत वर्तमान चुनाव में नरेंद्र मोदी को इतना गहरा झटका लगा। यदि नरेंद्र मोदी की जगह अटल जी होते, तो बच नहीं पाते। या अलग बात है कि नरेंद्र मोदी सोनिया के इस आक्रमण से भी बच गए। लेकिन इस परिवार में एक दूसरे सदस्य हैं, राहुल गांधी, बिल्कुल राजनीति के लिए अनाड़ी। मूर्खता के हद तक शराफत। राहुल गांधी ने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जो प्रभाव उत्पादक हो। आज इस नासमझी में तीन महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। पहली बात यह है कि राहुल ने मोहन भागवत की इस बात के लिए आलोचना की है कि मोहन भागवत राम मंदिर की घटना को एक स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत की संज्ञा दी थी। दूसरी बात राहुल गांधी ने कही कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूं। तीसरी बात राहुल गांधी ने कही कि जो भी लोग आर्थिक सामाजिक असमानता से लड़ना चाहते हैं, वह सफेद रंग की शर्ट पहनना शुरू करें। मैं आज तक नहीं समझा कि निचली दोनों बातों का अर्थ क्या है। इसका अर्थ या तो राहुल समझे होंगे या सोनिया समझी होंगी, मां-बेटे ही समझ पाए होंगे।

भागवत जी, जो संघ के प्रमुख हैं और भारत सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्होंने एक भाषण दिया कि हमें मंदिर निर्माण के दिन से वास्तविक स्वतंत्रता मानना चाहिए। उनके इस भाषण का राहुल गांधी ने खुलकर विरोध किया। राहुल गांधी के अनुसार, भारत 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था, फिर यह दोबारा स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है। मैं इस संबंध में खूब विचार किया। हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता इन तीनों को अलग-अलग मानकर चलते हैं। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता तो 75 वर्ष पहले मिल गई थी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी। उस समय मुसलमान को विशेष अधिकार प्राप्त था और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया था। मंदिर के निर्णय के बाद हिंदुओं में कुछ-कुछ आंशिक रूप से बराबरी का उत्साह पैदा हुआ। यदि भागवत जी ने इस धार्मिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया, इसमें गलत क्या है? मैं तो ऐसा मानता हूं कि अभी एक और स्वतंत्रता बाकी है, वह है सामाजिक स्वतंत्रता। अर्थात, हमारा जो भारत का संविधान था, वह पहले अंग्रेजों का गुलाम था, विदेशी शक्तियों का गुलाम था, वर्तमान भारत का संविधान स्वदेशी शक्तियों का गुलाम है। आज भी समाज को इस बात का अधिकार नहीं है कि तंत्र के पास क्या शक्ति होगी और क्या नहीं होगी। तंत्र समाज के बारे में सारे अंतिम निर्णय कर सकता है और समाज सिर्फ उनको मालिक चुन सकता है। चुने हुए व्यक्ति समाज के मालिक होंगे या मैनेजर, यह निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे विचार से अभी एक और स्वतंत्रता संघर्ष बाकी है।

राहुल गांधी ने यह कहा कि हम भारत में इंडियन स्टेट अर्थात भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का यह कथन पूरी तरह अस्पष्ट था, क्योंकि भारतीय राज्य से लड़ना पूरी तरह से एक नासमझी भरा बयान था, लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी ने यह जो बयान दिया, उसमें एक शब्द छूट गया और वह था सिस्टम। राहुल गांधी यह कहना चाहते थे कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था से टकरा रहे हैं। मेरे विचार से यदि राहुल गांधी ने अपने शब्दों में व्यवस्था शब्द को जोड़ दिया होता, तो उनका कथन सही हो जाता। यह सही बात है कि भारत की राज्य व्यवस्था पूरी तरह से गलत हो गई है। यह राज्य व्यवस्था वर्तमान समय में गलत नहीं हुई है, बल्कि स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही गलत होनी शुरू हो गई थी और इस व्यवस्था में बुराइयां आने का कारण पिछली सरकार थी, जिसके परिणाम नई सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि हमारी राज्य व्यवस्था पूरी तरह से असफल ही नहीं, बल्कि घातक दिशा में जा रही है। यही कारण है कि हम सब लोग व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में सोच रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को समाधान मान रहे हैं। मैं इतना जरूर समझता हूं कि अब किसी भी परिस्थिति में पिछली राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार का गठजोड़ था, उस राजनीतिक व्यवस्था को किसी भी स्थिति में दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को भी अवश्य ही बदला जाना चाहिए। यदि राहुल गांधी ने कुछ व्यवस्था परिवर्तन के विषय में सोचा हो, तो राहुल इस बात को स्पष्ट करें। हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे कि वह यदि व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो उसका नई व्यवस्था का आधार क्या होगा, क्या बदलना चाहते हैं? सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन की बात कहकर अगर राहुल गांधी वही साम्यवादी, इस्लामी और नेहरू परिवार की व्यवस्था को लादना चाहते हैं, तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं।

राहुल गांधी ने यह कही कि जो भी लोग आर्थिक असमानता और जातीय असमानता के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार हैं, वे लोग सफेद टी-शर्ट पहनें। राहुल गांधी का यह उद्देश्य था कि इस तरह सफेद टी-शर्ट पहनने वालों की एक नई जमात तैयार हो जाएगी। राहुल गांधी यह भूल गए कि उनकी यह सोच पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। सफेद टी-शर्ट पहनना बहुत कम लोग पहनते हैं, बहुत से लोग कुर्ता पहनते हैं, बहुत से लोग कुछ और कपड़े पहनते हैं। दूसरी बात यह है कि सफेद टी-शर्ट पहनने से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर होने का कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी की यह बात कई बार कहने के बाद भी पूरे भारत में उनके इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न कांग्रेस वालों पर पड़ा, न दूसरे लोगों पर पड़ा। कांग्रेस के लोग गांधी टोपी पहनते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं। यह सफेद टी-शर्ट वाली बात कैसे एडजस्ट होगी? इसलिए मैं राहुल से कहना चाहता हूं कि वह बोलना बंद करें। लिखा हुआ पढ़ें, उतना तक ठीक है, लेकिन अगर बोलने नहीं आता है, तो बोलना सीखें। सीखने में कोई बदनामी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना सीखे जो लोग अपने को जानकार होने का घमंड करते हैं, वह मूर्ख होते हैं और उसका परिणाम खराब होता है, जैसा कि राहुल के साथ हो रहा है। हो सकता है कि राहुल तीन-चार दिनों से वास्तव में बीमार हों, लेकिन देशभर को ऐसा संदेह हो रहा है कि राहुल बीमार नहीं हैं, कुछ न कुछ सोचकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की दुनिया में लगातार झूठ बोलने वाले के नाम पर एक पहचान बन चुकी है। जो भी बात हो, लेकिन अब राहुल गांधी को गंभीर हो जाना चाहिए। राहुल गांधी की बहुत अधिक बदनामी हो चुकी है और अब यदि राहुल गांधी ने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया, तो राहुल भी डूबेंगे, कांग्रेस पार्टी भी डूबेगी और नेहरू परिवार का नाम-निशान खत्म हो जाएगा।

सामाजिक विषयों पर मुनि जी के लेख

1. स्वतंत्रता की बाधा को दूर करना राज्य का दायित्व :

स्वतंत्रता और समानता के बीच लंबे समय से संघर्ष चलता रहा है। हर कमजोर समानता की बात करता है, हर कम्युनिस्ट समानता की बात करता है, हर मजबूत और पूंजीपति स्वतंत्रता की बात करता है। सच्चाई यह है कि प्राकृतिक रूप से ही दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते और असमानता प्राकृतिक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ जिसके नीचे कमजोर लोग न हों और इसके ऊपर मजबूत लोग न हों। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भी बहुत लोग होते हैं और नीचे भी बहुत लोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रगति के स्वतंत्र अवसर मिले, यही स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता में यदि कोई बाधा पहुंचती है, तो उस बाधा को दूर करना राज्य का दायित्व होता है। राज्य को यह कार्य पूरी तरह निभाना चाहिए। राज्य किसी कमजोर की मदद नहीं कर सकता। राज्य किसी भी मजबूत को कमजोर नहीं कर सकता है। राज्य तो सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वतंत्रता से आगे बढ़ने की सुरक्षा की गारंटी देता है। वर्तमान समय में राज्य अपने दायित्व पूरे न करके गलती कर रहा है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं होगी, तो राज्य असफल माना जाएगा। यही कारण है कि वर्तमान दुनिया में पूंजीवाद बढ़ रहा है और साम्यवाद समाप्त हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि साम्यवाद बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। भारत में भी साम्यवाद अंतिम सांस गिन रहा है। आम नागरिकों में साम्यवाद के प्रति विश्वास घट रहा है।

2. राज्य के द्वारा विवाह की उम्र तय करना कहाँ तक तर्कसंगत :

मैं लंबे समय से यह लिखता रहा हूं कि परिवार के पारिवारिक मामलों में और समाज के सामाजिक मामलों में राज्य को कोई दखल नहीं देना चाहिए। विवाह एक शुद्ध पारिवारिक और सामाजिक विषय है, इसमें राज्य की भूमिका शून्य होनी चाहिए। मैं हमेशा मानता रहा कि राज्य उसमें गलत हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ देशों की सरकारों ने 16 वर्ष विवाह की उम्र तय कर दी है, किसी ने 18 तय कर दी है, किसी ने 20 तय कर दी है। प्रश्न उठता है कि राज्य को विवाह की उम्र क्यों तय करनी चाहिए। विवाह तीन की सहमति से होता है, उसमें युवक-युवती की स्वीकृति, परिवार की सहमति और समाज की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि तीनों आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तो विवाह किस उम्र में हो, इससे सरकार का क्या संबंध है। मुझे खुशी हुई कि पहली बार इराक सरकार ने विवाह की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष घोषित कर दी है, अर्थात 9 वर्ष से अधिक उम्र के लड़के और लड़की अपने परिवार की स्वीकृति से विवाह कर सकते हैं। कुछ राज्य प्रेमी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार से इराक में जो नीति बनाई है, वह नीति अधिक अच्छी है, इसका समर्थन किया जाना चाहिए। भारत में भी यह नीति बननी चाहिए कि यदि लड़के-लड़की की स्वीकृति, परिवार की सहमति और ग्राम सभा की अनुमति से कोई विवाह होता है, तो उस विवाह के मामले में सरकार कोई दखल नहीं देगी। यदि इन तीनों में कोई टकराव होगा, तब वैसी स्थिति में सरकार के कानून लागू हो सकते हैं। हमें इराक के कानून का समर्थन करना चाहिए।

3. वकील और मुकदमेबाज, न्यायपालिका की कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं :

भारत की राजनीतिक व्यवस्था जनहित के नाम पर जनप्रिय कार्य करने में लगातार सक्रिय है। भारत में लोकतंत्र है, जहां न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों मिलकर राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था करते आए हैं। इन तीनों को मिलकर लोकायुक्त हित के कार्य करने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि तीनों ही लोकप्रियता के लिए छटपटा रहे हैं। इन तीनों में भी न्यायपालिका कुछ ज्यादा ही जोर से लोकप्रिय होना चाहती है। हमारे देश की न्यायपालिका में जो भी न्यायाधीश बैठ रहे हैं, वे निरंतर इस बात की कोशिश करते हैं कि न्याय संस्था हो, सर्व सुलभ हो, भले ही न्याय पर कितना भी पैसा खर्च क्यों न हो जाए। वे न्याय पर होने वाले बजट की कभी चिंता नहीं करते। परिणाम हुआ कि देशभर में मुकदमेबाजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वकील और मुकदमेबाज, यह दोनों मिलकर न्यायपालिका की इस कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं। मुकदमेबाज लोग प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट तक लगातार जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी लोकप्रियता को कायम रखने के लिए इस प्रकार के मुकदमेबाजों की बात सुनने में रुचि रखता है। अर्थात, मुकदमेबाज मुकदमों का सहारा लेकर खेल खेलते हैं और न्यायपालिका उन खिलाड़ियों के साथ शामिल हो जाती है, भले ही जनता पर कितना भी टैक्स क्यों न लग जाए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1 वर्ष में इन खिलवाड़ करने वालों ने ईवीएम के खिलाफ कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दी, अभी-अभी एक नई अर्जी और दाखिल की गई है और वाह रे, हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसने न्याय के पक्ष में इस तरह के खिलाड़ियों की नई अर्जी को भी स्वीकार कर लिया है। अभी-अभी आपने देखा होगा कि बंगाल सरकार सिर्फ इसलिए अपील कर रही है कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास को फांसी में बदल दिया जाए और मैं जानता हूं कि न्यायपालिका इस विषय में भी सुनवाई करेगी। कल ही पता चला कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान से बुरी तरह प्रभावित एक ऐसे ही खिलाड़ी ने एक मुकदमा किया है कि उसके दूध की बाल्टी गिर गई और उसका 250 रूपए का दूध नुकसान हो गया। गंभीर सवाल उठता है इस प्रकार की मुकदमेबाजों और न्यायपालिका के बीच जो एक अनावश्यक खेल चल रहा है, इस खेल में आम लोगों का कितना धन बर्बाद हो रहा है, इसकी चिंता न न्यायपालिका को है, न विधायिका को है, न कार्यपालिका को है। न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाते जाओ, सांसदों के वेतन बढ़ाते जाओ, सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाते जाओ और मनमाना जनता से टैक्स वसूलते रहो। अगर यही न्याय है, तो इस न्याय की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। हमें लोकप्रिय न्याय नहीं, लोकहित न्याय चाहिए और न्यायपालिका को इस संबंध में पहल करनी चाहिए।

4. अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल राज्य, वर्ग-संघर्ष का सहारा लेता है :

दुनिया की प्रमुख 10 समस्याओं में आठवीं समस्या है समाज में वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष की परिस्थितियां बनाना। समाज में व्यक्तियों के दो ही वर्ग होते हैं: एक देवी प्रवृत्ति वाले, एक आसुरी प्रवृत्ति वाले। इन दोनों को ही हम सामाजिक और समाज विरोधी के रूप में बताते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्ग सिर्फ दो ही हो सकता है, अन्य कोई वर्ग नहीं हो सकता। इन दो वर्गों में से देवी प्रवृत्ति वालों को सुरक्षित रखना राज्य की जिम्मेदारी है और आसुरी प्रवृत्तियों पर उसे नियंत्रण रखना चाहिए। इस पवित्र कार्य के लिए ही हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है परिवार व्यवस्था, गांव व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अंत में हमने एक राज्य व्यवस्था भी बनाई है, लेकिन राज्य अपने दायित्व पूरे नहीं करने के लिए समाज को वर्गों में बांटता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीब- अमीर के नाम पर, महिला-पुरुष के नाम पर, अन्य अनेक प्रकार से वर्ग निर्माण करके वर्ग संघर्ष करता है। यह राज्य की धूर्तता मानी जाती है। यह सारी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। महिला-पुरुष, गरीब- अमीर, हिंदू-मुसलमान, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, जिस वर्ग में दोनों प्रवृत्तियों के लोग न होते हों। स्पष्ट है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के वर्ग निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं और राज्य इसका लाभ उठाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि किसी भी सरकार को ऐसे किसी भी वर्ग को मान्यता नहीं देना चाहिए, जो प्रवृत्ति के आधार पर नहीं बना है। इस समस्या का विश्व स्तरीय समाधान करना आवश्यक है।

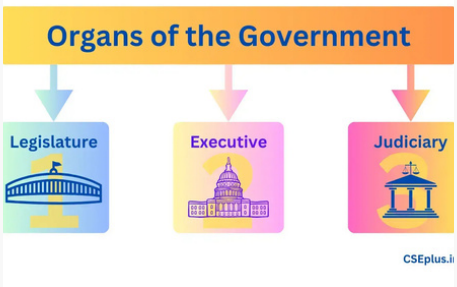

5. विशेष परिस्थितियों में भी हिंसा का समर्थन अनुचित :

मैं बचपन से ही यह मानता रहा कि अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी परिस्थिति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। यह आवश्यक है कि हमारे कुछ साथी विशेष परिस्थितियों में हिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उन साथियों में से कोई एक भी यह नहीं कहता कि उसने कभी अपने जीवन में बल प्रयोग किया हो। मैं यह बात समझ ही नहीं पाता कि जो अपने जीवन में कभी बल प्रयोग किया ही नहीं है, वह हिंसा का समर्थन कैसे करता है। मैंने संघ के एक प्रमुख भैया जी जोशी का एक बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने यह बात बताई कि अहिंसा का महत्व तो है, लेकिन यदि विशेष परिस्थिति आ जाए तो हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। उनके इस कथन में आंशिक सच्चाई तब हो सकती थी जब भारत में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की सरकार नहीं होती। यदि सरकार हमें सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, तब ऐसी विशेष परिस्थितियां आ सकती हैं, इसकी कल्पना करना भी उचित नहीं है। विशेष परिस्थितियों में यदि हिंसा करने का समर्थन किया जाएगा, तो फिर आप मुसलमान द्वारा की गई हिंसा का विरोध कैसे करेंगे। क्योंकि परिस्थितियां हिंसा की हैं या नहीं, यह निर्णय कौन करेगा? यह निर्णय या तो कानून करेगा या समाज करेगा। इसलिए मेरे विचार से यह एक काल्पनिक विचार है कि विशेष परिस्थिति में हिंसा का समर्थन किया जा सकता है। कोई भी हिंदू किसी भी परिस्थिति में हिंसा का तब तक समर्थन नहीं कर सकता जब तक समाज ने उसको हिंसा करने का अधिकार न दिया हो। हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था में भी हिंसा करने का अधिकार केवल राज्य कर्मियों को था और किसी को नहीं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि भैया जी जोशी अपने कथन पर फिर से विचार करें। किसी भी परिस्थिति में हिंसा का समर्थन राज्य को छोड़कर किसी को भी नहीं करना चाहिए।

6. कम खर्च और कम आमदनी का बजट आदर्श :

देश का बजट पेश होने वाला है। यदि मैं बजट पेश करता तो उस बजट में सारे टैक्स हटाकर केवल दो प्रकार के टैक्स लगता, एक सुरक्षा कर, दूसरा ऊर्जा कर। सुरक्षा कर प्रत्येक परिवार की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकतम दो प्रतिशत वार्षिक होता। इस संपत्ति कर से ही सभी प्रकार के खर्चों की व्यवस्था हो गई होती, अन्य सारे टैक्स समाप्त कर दिए जाते। दूसरा ऊर्जा कर होता, इसमें डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, गैस, कोयला का मूल्य ढाई गुणा करके उसे प्राप्त सारी आय पूरी आबादी में ऊर्जा सब्सिडी के नाम से बराबर-बराबर बांट दी जाती। इस तरह प्रति व्यक्ति 25000 रुपए वार्षिक के आसपास ऊर्जा सब्सिडी मिल सकती थी। अन्य सारी प्रकार की सुविधा समाप्त कर दी जाती। बजट में और कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं होता। स्कूल, अस्पताल, सड़क इन सबको स्वतंत्र निगम बना दिया जाता, इन्हें बजट से किसी भी प्रकार की कोई रकम नहीं दी जाती। इस तरह मेरा बजट संसद में सिर्फ 10 मिनट का होता। मैं घंटे भर बजट पर भाषण नहीं देता, मेरा बजट एक-दो पृष्ठ का होता। इस बजट में कोई उथल-पुथल नहीं होती। लेकिन वर्तमान वातावरण में अगर मैं बजट प्रस्तुत करता तो उस बजट में मैं सिर्फ इतना ही बदलाव करता कि आगामी 1 अप्रैल से सभी सरकार नियंत्रित वस्तुओं के मूल्य मुद्रा स्थिति के आधार पर अपने आप बढ़ जाएंगे। वर्तमान समय में यदि मुद्रा स्थिति 5% है तो सभी सरकारी वस्तुओं के मूल्य अपने आप पांच प्रतिशत बढ़ जाते। कोई विशेष बदलाव करना होता तभी बजट में उल्लेख होता, अन्यथा नहीं। सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाता, गाड़ियों का, रेल का किराया अपने आप बढ़ जाता, धान की खरीदी का मूल्य अपने आप बढ़ जाता, सब चीजों का मूल्य अपने आप बढ़ गया होता। मेरे विचार से इसी तरह का बजट पेश करना चाहिए। अभी आदर्श स्थिति नहीं है, इसलिए मैंने आदर्श बजट का एक अलग नमूना प्रस्तुत किया है और वर्तमान बजट का अलग। आदर्श स्थिति में सरकार का खर्चा करीब 50 लाख करोड़ होता और आमदनी भी इतनी हो जाती। वर्तमान बजट में भी लगभग ऐसा ही होता।

1. सोरोस और हिंडनबर्ग दोनों ही भारत में असफल :

यह बात जगजाहिर है कि सोरोस और हिडन वर्ग के दम पर ही नेहरू परिवार और राहुल गांधी उछल-कूद करते रहे। राहुल को पूरा विदेशी समर्थन प्राप्त था और राहुल गांधी उनकी मदद से ही अदानी पर इतने आक्रमण करते रहे। यह बात भी सही है कि हिडन वर्ग ने जिस कंपनी पर आक्रमण किया, वह कंपनी बर्बाद हो गई। सोरेस ने भी जिस सरकार पर आक्रमण किया, वह सरकार बर्बाद हो गई, लेकिन भारत में यह दोनों ही असफल हो गए। हिडन वर्ग ने बहुत चालाकी से अदानी को चुना था और उसे पूरी उम्मीद थी कि अदानी फेल हो जाएंगे। सोरेस ने भी नरेंद्र मोदी को चुना था और उसे भी पूरी उम्मीद थी, लेकिन अदानी भी बच गए और नरेंद्र मोदी भी बच गए। इन दोनों के सुरक्षित बच जाने से हिडन वर्ग और सोरेस को बहुत धक्का लगा है। राहुल गांधी के कमजोर होने से भी इन दोनों को चोट लगी है। आज पता चला है कि हिडन वर्ग की कंपनी इस भारतीय चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपने को बंद कर रही है क्योंकि अदानी के मामले में असफलता ने हिडन वर्ग की कमर तोड़ दी है। और आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि सोरेस भी इसी तरह असफल हो जाएंगे, उनको भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि राहुल से इन दोनों को जितनी उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों के टूट जाने से इन दोनों की कमर टूट गई है। कुछ दिनों में और भेद खुल जाएगा। यह भारत है और भारत से टकराना आसान नहीं है।

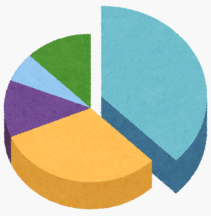

साथियों की कलम से

विचार मंथन के अभाव में भटकता सामाजिक सद्भाव :

अमेरिकन उद्योगपति एलन मस्क ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स को अपने एक वक्तव्य से हिला दिया है। तमाम आलोचक इस बात पर चिंतित हैं कि किसी व्यक्ति के पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी पावर होना कहां तक उचित है, वे भयभीत हैं कि सोशल मीडिया कंपनी के एक मालिक होकर एलन मस्क इतनी बड़ी बात को कैसे कह सकते हैं। दरअसल, एलन मस्क ने एक्स पर कहा है कि 'आप उन्हें (वामपंथी) वोट इसलिए देते हैं कि वह आपकी बेटी का बलात्कार कर सके'। दरअसल, एलन मस्क उस बात की तरफ इशारा कर रहे थे जिससे एक समय पूरा ब्रिटेन हिल गया था। बहुत सारे मुस्लिम घुसपैठियों ने ब्रिटेन की धरती पर हजारों बच्चियों और औरतों का बलात्कार कर हत्या किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस घटना को दक्षिणपंथियों की करतूत बता कर अपनी बेशर्मी का वैश्विक ढिंढोरा पीटा था। बाकी देशों में रह रहे वामपंथियों ने भी अपने आका ब्रिटेन की इसी लाइन का अनुसरण कर मुसलमानों के हर कुकृत्य का समर्थन करना शुरू कर दिया था। आज भी पूरी दुनिया में वामपंथी अपने इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति में भी इसी तरह का एक भूकंप इस समय आया हुआ है। अंबेडकरवादी वामपंथी लेखक दिलीप मंडल ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि कथित रूप से 'पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कथित साथी पहली मुस्लिम शिक्षिका 'फातिमा शेख' एक फर्जी रचना है। दिलीप मंडल ने यह घोषणा की कि मुसलमानों को अपने साथ मिलने के लिए उन्होंने खुद सावित्रीबाई फुले के साथी के रूप में 'फातिमा शेख' नाम की एक मुस्लिम शिक्षिका के कैरेक्टर की रचना की थी। ऐसा उन्होंने दलित राजनीति को मुसलमानों का भी समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। उन्होंने अपने दावे में कहा कि मेरे द्वारा पहली बार कहे जाने के पहले फातिमा शेख का कोई साक्ष्य, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया पर उनकी इस चुनौती पर एक गंभीर बहस छिड़ गई है। भीम-मीम के नारे के सहारे देश को लूटने की, संसाधनों पर कब्जा करने की, सत्ता को हथियाने की गुणा-गणित एकदम साफ-साफ दिख रही है। कितनी आश्चर्य की बात है कि 'एक व्यक्ति' 'एक फर्जी करेक्टर' गढ़ कर देश में दर्जनों समाज विरोधी नेताओं को स्थापित कर देता है। पूरे के पूरे देश की दिशा और दशा एक 'फर्जी नॉरेटिव' के सहारे बदल दी जाती है। देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में फातिमा की नकली जन्मदिन मनाया जाने लगता है। "आखिर कैसे हो जाता है यह सब?" यह आज तक मेरे समझ में नहीं आया। कैसे यथार्थ को जाने-समझे बिना, उसकी जांच-पड़ताल किए बिना देश के तमाम तथाकथित बौद्धिक, तमाम साहित्यकार इस एक दिशा में विचारों का प्रचार-प्रसार करने लगते हैं। इन पेड साहित्यकारों की तो बात ही क्या, देश की अधिकांश जनता इस सत्य को स्वीकार कर सत्ता को कब्जाने के नॉरेटिव में फंस जाती है। समाज टूट जाता है, लोग आक्रोश और हिंसा के शिकार बनते जाते हैं, सियासतदान जनता को लूटने में मगन रहते हैं। बजरंग मुनि जैसे लोग जब सत्य कहते हैं तो समझने का प्रयास किए बिना, यही लोग उन पर संवेदनहीन होने, प्राचीन होने और समाज को बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं।

ज्ञानेन्द्र आर्य (सह संपादक)

सामाजिक हिंसा का कारण- वैचारिक अन्तर विरोध :

विभिन्न व्यक्तियों के बीच वैचारिक अन्तर व्यक्ति के बहुआयामी विकास का आधार भी बन जाता है, क्योंकि इससे अलग-अलग दृष्टिकोण के आधार पर अलग-अलग कार्य प्रणाली विकसित करने के अवसर पनपते हैं। दूसरी ओर, विभिन्न व्यक्तियों के बीच वैचारिक विरोध सामाजिक हिंसा फैलाने का कारण सिद्ध होता है। समाज की दशा और दिशा ठीक रखने के लिए विभिन्न विचारधारा के व्यक्तियों को परस्पर विमर्श करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समाज के व्यवहार में यह आ रहा है कि व्यक्ति परस्पर विमर्श को छोड़कर वैचारिक विरोध को ही समाज की संरचना का दृष्टिकोण मान रहा है। समाज में यह वैचारिक विरोध धर्म, जाति इत्यादि वर्ग संघर्ष के विषयों को बहुत बढ़ा रहा है।

दुनिया में अन्य धर्मों की तुलना में धर्म के आधार पर वैचारिक विरोध को इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वाधिक महत्व दिया है। आधुनिक दुनिया में इस आधार पर सांगठनिक हिंसा, पत्थरबाजी, धार्मिक विरोध के आधार पर यौन उत्पीड़न या 'लव-जेहाद', आतंकवाद, व्यवहारिक झूठ इत्यादि कृत्य जेहाद के रूप में इस्लाम के अनुयायियों का सामान्य आचरण बनकर रह गए हैं। भारत में कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार जहाँ देखो वहाँ इस्लाम के अनुयायी इसलिए सामाजिक वैमनस्य फैला रहे हैं कि इन्हें इस्लाम के अनुसार बनने वाली समाज-व्यवस्था की तुलना में किसी भी अन्य विचारधारा से समन्वय बनाना ही नहीं है! यद्यपि इस कार्य में राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने वाले लोगों की भी भूमिका रहती है, लेकिन इस्लाम की कमजोरी यह है कि इसका धार्मिक नेतृत्व इसके अनुयायियों को बुनियादी तौर पर सामाजिक विरोध का ही इल्म परोसते हैं। क्योंकि इन्होंने इस्लाम के ढांचे को समाज व्यवस्था का एकमात्र सर्वकालिक सत्य मान लिया है, जबकि सच तो यह है कि जीवन की गतिशीलता व्यक्ति के सामान्य जीवन में बदलाव लाती है। यह दशा प्राकृतिक है। इसी आधार पर विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को अपनी सामान्य जीवन पद्धति में भी यथार्थपरक बदलाव कर लेने चाहिए। समाज व्यवस्था का जो सिद्धान्त ऐसा नहीं करता है, तो वह काल प्रवाह की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है और वह एक बन्द व्यवस्था सिद्ध हो जाता है। आधुनिक दुनिया में इस्लाम की यही दशा हो गई है। बहुआयामी और बहुवैचारिक समाज से समन्वय का अभाव इस्लाम को एक काल वाह्य जीवन पद्धति सिद्ध करता है।

यद्यपि ऐसी कोई बात नहीं है कि अन्य धर्म संस्कृतियों में ऐसे अवगुण नहीं हैं, हैं तो जरूर, जैसे हिन्दू जीवन पद्धति में जातीय वैमनस्य है। लेकिन हिन्दुओं का जातीय वैमनस्य वैसा हिंसक और अतिवादी नहीं है जैसा कि इस्लाम का धार्मिक स्वरूप है। भारत में साम्यवाद के अथक प्रयास के बाद भी यहाँ जातिवाद राजनीतिक संघर्ष का कारण तो बना हुआ है, लेकिन सामाजिक हिंसा का कारण नहीं बन पाया है, अथवा है भी तो बहुत कम! बहुआयामी समाज में किसी भी वर्ग की निजी व्यवस्था को समाज की प्राकृतिक संरचना से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह होता है, वर्गों का नहीं। वस्तुतः यह कारण अलगाव का आधार बन जाता है। सर्वविदित है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक भी है और भीड़ के विभिन्न वर्गों को समाज की तुलना में संरक्षण भी देती है। भारत में यह आश्चर्य का विषय है कि लोकतन्त्र में धर्म और जाति के आधार पर वर्गों को विशेषाधिकार देकर व्यवस्था को अनावश्यक पारदर्शी बनाने का नीति विरुद्ध कार्य किया गया है। लोकतन्त्र में व्यक्ति के समान अधिकार होते हैं, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं होता। अर्थात् लोकतन्त्र का स्वरूप वर्ग संरक्षण पर नहीं, बल्कि समान नागरिक संहिता पर आधारित होता है। किसी भी लोकतान्त्रिक देश के संविधान का यह आवश्यक गुण होता है। इसके अभाव में लोकतन्त्र की परिकल्पना भी अनुचित है।

मैं पुनः कहता हूँ कि समाज में सभी लोगों को वैचारिक अन्तर विरोध दूर करने के लिए परस्पर विमर्श करना ही चाहिए। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, न्यायिक एवं आर्थिक व्यवस्था के किसी भी रूप में यदि कोई ऐसा कारण सिद्ध हो रहा है जो यथार्थ में समाज का सामाजिक नेतृत्व करने में या तो असमर्थ है या विरोधी है, सभी लोगों को मिलकर उसका उन्मूलन कर देना चाहिए।

नरेन्द्र सिंह (वरिष्ठ लेखक, विचारक)